[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 31

[दि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) अमेंडमेंट बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1972 का 53

2. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में—

(क) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(2क) ''प्राणी फांस'' से किसी प्राणी को अवरुद्ध करने या पकड़ने के लिए डिजाइन की गई कोई युक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पाद बंधन फांस युक्ति भी है जो प्राय: ऐसे जम्भ के रूप में कार्य करती है जो प्राणी के एक या अधिक अंगों को कसकर जकड़ लेता है, जिसके द्वारा फांसे से अंग या अंगों को छुड़ाने को रोका जाता है;';

(ख) खंड (14) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(14क) ''ग्राम सभा'' से संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ख) में यथा परिभाषित ग्राम सभा अभिप्रेत है;';

(ग) खंड (15) में, ''वन्य प्राणी'' शब्दों के पश्चात् ''या विनिर्दिष्ट पादप'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(घ) खंड (16) के उपखंड (ख) में, ''जाल में फांसना'' शब्दों के पश्चात् ''विद्युत शक्ति से मारना'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) खंड (22) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(22क) ''पंचायत'' से संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित पंचायत अभिप्रेत है;';

(च) खंड (24) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(24) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत कोई फर्म या कंपनी या कोई प्राधिकारी या संगम या व्यष्टियों का ऐसा निकाय भी है, चाहे वह निगमित हो या नहीं;';

(छ) खंड (26) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(26क) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(26ख) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से संविधान की पांचवीं अनुसूची के भाग ग के पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(26ग) ''वैज्ञानिक अनुसंधान'' से अनुसूची 1 से अनुसूची 7 (अनुसूची 5 के सिवाय) में विनिर्दिष्ट या किसी वन्य स्थल या अपने आवास में पाए गए किसी प्राणी या पादप पर केवल अनुसंधान के प्रयोजन के लिए किया गया कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;';

(ज) खंड (31) के उपखंड (ख) में, ''घोंसले'' शब्द के पश्चात्, ''सजीव घोंसले'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(झ) खंड (35) में ''अग्न्यायुध'' शब्द के पश्चात् ''श्रृंखला क्रकच अग्न्यायुध, गुलेल'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ञ) खंड (36) में ''और प्रकृति से ही वन्य है'' शब्दों के स्थान पर ''या प्रकृति से ही वन्य है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ट) खंड (39) में ''सरकस'' शब्द के स्थान पर ''संरक्षण और प्रजनन केन्द्र'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 5ख का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (3) में ''उसको सौंपे गए कृत्यों'' शब्दों के स्थान पर, ''अधिनियम के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जाएं, उसको सौंपे गए कृत्यों'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 9क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्राणी फांसों पर प्रतिषेध।

''9क. (1) कोई भी व्यक्ति, शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक की लिखित में अनुज्ञा के सिवाय, किसी पशु फांस का विनिर्माण, विक्रय, क्रय नहीं करेगा, उसे नहीं रखेगा, उसका परिवहन या कोई अन्य उपयोग नहीं करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रारंभ की तारीख को कोई प्राणी फांस है, ऐसे प्रारंभ से साठ दिन के भीतर अपने कब्जे में

के प्राणी फांसों की संख्या और उनके वर्णन तथा ऐसे स्थान या स्थानों के, जहां ऐसे फांस भंडारित किए गए हैं, संबंध में मुख्य वन्य जीव संरक्षक को घोषणा करेगा।

(3) मुख्य वन्य जीव संरक्षक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कब्जे में के किसी पशु फांस का उपयोग केवल शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए ही करेगा, तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसे फांस को रखने की लिखित अनुज्ञा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उस अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जाए, जारी कर सकेगा।

(4) ऐसे सभी पशु फांस, जिनकी उपधारा (2) के अधीन घोषणा की गई है और जिनकी बाबत उपधारा (3) के अधीन मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा लिखित में अनुज्ञा नहीं दी गई है, सरकार की संपत्ति हो जाएंगे।

(5) इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि पशु फांस को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति ऐसे फांस का विधिविरुद्ध रूप से कब्जा रखे हुए है, जब तक कि अभियुक्त द्वारा उसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता हैः

परन्तु कतिपय ऐसी परिस्थितियों में, जिनका कि अवचरण मुख्य वन जीव संरक्षक द्वारा किया जाएगा, पशु फांस का, पाद जकड़न फांसों के सिवाय, कृषि फसलों तथा कृषकों की संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा दी जा सकेगी।''।

नई धारा 12क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाना।

''12क. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य वन्य जीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदत्त करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य वन्य जीव संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी सभी अनुज्ञापत्रों पर कार्रवाई कर दी गई है और वे ऐसी शर्तों के अध्यधीन और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदान कर दिए गए हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को विहित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान करने संबंधी क्षेत्र;

(ख) वह व्यक्ति, जो अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा;

(ग) वह समयावधि, जो किसी भी दशा में एक सौ बीस दिन से अधिक की नहीं होगी जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों का निपटारा किया जाएगा;

(घ) वे शर्तें, जिनके अध्यधीन वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी अनुज्ञापत्र प्रदान किए जा सकेंगे।''।

धारा 18 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, किसी अभयारण्य के रूप में गठित किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगी।''।

धारा 22 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 22 में, ''राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य सरकार और ग्राम सभा तथा पंचायत के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, ''फोटोचित्रण'' शब्द के पश्चात्, ''और किसी आवास में परिवर्तन किए बिना या आवास या वन्य जीव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृत्तचित्र बनाना'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 29 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 29 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33 के खंड (घ) के अधीन अनुज्ञात पशुधन की चराई या संचलन या धारा 11 के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र के अधीन वन्य जीवों का शिकार करने या धारा 12 के अधीन दिए गए अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किए बिना शिकार करने या धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जारी रखे रहने के लिए अनुज्ञात अधिकारों का प्रयोग करने या स्थानीय समुदायों द्वारा पेय और गृहोपयोगी जल के वास्तविक उपयोग करने को इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा।''।

धारा 32 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 में, ''अन्य पदार्थों का'' शब्दों के स्थान पर ''अन्य पदार्थों या उपस्करों का'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 33 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

(i) आरंभिक भाग में, ''सभी अभयारण्यों का नियंत्रण करेगा, उनका प्रबंध करेगा और उन्हें बनाए रखेगा'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और यदि अभयारण्य भी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके उसके द्वारा तैयार की गई ऐसी प्रबंध योजनाओं के अनुसार सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण करेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) के परंतुक में, ''पर्यटक लाज'' शब्दों के स्थान पर ''पर्यटक या सरकारी लाज'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(i) उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगी।'';

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, वनों के सुसंगत ब्यौरे जहां कहीं उपलब्ध हों, (वन कक्ष संख्यांक सहित) और राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित राजस्व अभिलेख सम्मिलित किए जाएंगे।'';

(iii) उपधारा (8) में, ''धारा 27 और धारा 28'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''धारा 18 क, धारा 27 और धारा 28'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 36घ का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 36घ की उपधारा (2) में,—

(i) ''पांच प्रतिनिधि'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन से अन्यून प्रतिनिधि'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) जहां धारा 36ग की उपधारा (1) के अधीन प्राइवेट भूमि पर कोई सामुदायिक आरक्षिति घोषित की जाती है वहां सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति, भूमि के स्वामी सहित राज्य वनों या वन्य जीव विभाग के, जिसकी अधिकारिता में सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, एक प्रतिनिधि तथा, यथास्थिति, संबंधित पंचायत या जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि से भी मिलकर बनेगी।''।

धारा 38 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित करेगी।''।

15. मूल अधिनियम की धारा 38ग के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 38ग का संशोधन।

''(कक) चिड़ियाघरों के संपूर्ण कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना और संबद्ध मुख्य वन्य जीव संरक्षक को चिड़ियाघर के पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत करना;''।

16. (1) मूल अधिनियम की धारा 38ञ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 38ञ का संशोधन।

''(2) इस भाव के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किए जाएंगे।''

17. (1) मूल अधिनियम की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ठ) और खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 38ठ का संशोधन।

''(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;''।

18. मूल अधिनियम की धारा 38ण की उपधारा (1) के खंड (क) में, ''अनुमोदन करना'' शब्दों के पश्चात्, ''और ऐसी योजना के लिए उसे अनुदान देना'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 38ण का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 38भ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 38भक का अंत:स्थापन।

''38भक. इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध, इस अधिनियम के अधीन व्याघ्र आरक्षिति में सम्मिलित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों (चाहे वे उस रूप में सम्मिलित और घोषित किए गए हों या इस प्रकार घोषित किए जाने की प्रक्रिया में हों) से संबंधित उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।''। इस अध्याय के उपबंधों का अभयारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों से संबद्ध उपबंधों के अतिरिक्त होना।

20. मूल अधिनियम के अध्याय 4ग के शीर्षक में ''व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति'' शब्दों के स्थान पर ''वन्य जीव'' शब्द रखे जाएंगे। अध्याय 4ग का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 38म के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 38म के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''38म. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एक वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन कर सकेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा: वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन।

(क) निदेशक, वन्य जीव संरक्षण	—	निदेशक-पदेन;
(ख) पुलिस महानिरीक्षक	—	अपर निदेशक;
(ग) उप पुलिस महानिरीक्षक	—	संयुक्त निदेशक;
(घ) उप वन महानिरीक्षक	—	संयुक्त निदेशक;
(ङ) अपर आयुक्त (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	—	संयुक्त निदेशक; और
(च) ऐसे अन्य अधिकारी, जो इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 में निर्दिष्ट अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएं।''।		

22. मूल अधिनियम की धारा 39 में,— धारा 39 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में, ''बंदी-स्थिति में रखा जाता है या पैदा होता है या उसका शिकार किया जाता है'' शब्दों के पश्चात् ''या विनिर्दिष्ट पादप चुने जाते हैं, उखाड़े जाते हैं, रखे

जाते हैं या नुकसान पहुंचाया जाता है या नष्ट किया जाता है, धारा 17क के अधीन उनके साथ व्यापार किया जाता है या विक्रय किया जाता है'' शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) जहां कोई ऐसी सरकारी संपत्ति जीवित प्राणी है और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा नहीं जा सकता वहां राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसे किसी मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या बचाव केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उसकी देखभाल की जाए।''।

नए अध्याय 5ख का अंत:स्थापन।

23. मूल अधिनियम के अध्याय 5क के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 5ख

वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय के अनुसार वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए परिभाषाएं।

49घ. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''कृत्रिम रूप से प्रजनित'' से ऐसे पादप अभिप्रेत हैं, जो समान दशाओं के अधीन पादप सामग्री से नियंत्रित दशाओं के अधीन उगाए गए हैं;

(ख) ''बंदी हालत में प्रजनित'' से जनक से जो बंदी हालत में हों, पैदा हुआ अभिप्रेत है;

(ग) ''अभिसमय'' से 3 मार्च, 1973 को संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन, डी. सी. में हस्ताक्षरित और 22 जून, 1979 को बॉन में संशोधित वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय, उसके परिशिष्ट और भारत पर आबद्धकर सीमा तक उसके अधीन किए गए विनिश्चय, संकल्प और अधिसूचनाएं तथा उसके संशोधन अभिप्रेत हैं;

(घ) ''विदेशी प्रजाति'' से प्राणियों और पादपों की ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं, जो भारत के वन्य स्थानों में नहीं पाई जाती हैं और जो अभिसमय के परिशिष्टों में सूचीबद्ध नहीं हैं किंतु उन्हें प्रबंध प्राधिकारी द्वारा धारा 49ङ के खंड (ख) में उल्लिखित कारणों से धारा 49च की उपधारा (3) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ङ) ''निर्यात'' से प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, नमूनों, विदेशी प्रजातियों का या उनमें से किसी का भारत से किसी अन्य देश को निर्यात अभिप्रेत है;

(च) ''आयात'' से प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, नमूनों, विदेशी प्रजातियों का या उनमें से किसी का किसी अन्य देश से भारत में आयात अभिप्रेत है;

(छ) ''प्रबंध प्राधिकारी'' से धारा 49च के अधीन अभिहित प्रबंध प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) ''पादप'' से अनूसूची 7 में सूचीबद्ध पादपों का कोई जीवित या मृत, अवयव अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसके बीज, जड़ें और अन्य भाग भी हैं;

(झ) ''तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी'' के अंतर्गत ऐसा कोई नमूना अभिप्रेत है, जो साथ लगे दस्तावेज, पैकिंग अथवा चिह्न या लेबल से या किन्हीं अन्य परिस्थितियों से अनुसूची 7 में सूचीबद्ध किन्हीं प्रजातियों के किसी प्राणी या पादप का भाग या व्युत्पन्नी होना प्रतीत होता है;

(ञ) ''पुन: निर्यात'' से ऐसे किसी नमूने का निर्यात अभिप्रेत है, जो पूर्व में आयात किया गया है;

(ट) ''वैज्ञानिक प्राधिकारी'' से धारा 49छ के अधीन अभिहित कोई वैज्ञानिक प्राधिकारी अभिप्रत है;

(ठ) ''अनुसूचित नमूने'' से अभिसमय के परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध और अनुसूची 7 में उस रूप में सम्मिलित प्रजातियों का कोई नमूना अभिप्रेत है;

(ड) ''नमूने'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं:—

(i) कोई प्राणी या पादप, चाहे वह जीवित हो या मृत;

(ii) किसी प्राणी की दशा में,—

(अ) परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए, उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी;

(आ) परिशिष्ट 3 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए, प्रजातियों के संबंध में अनुसूची 7 के परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी; और

(iii) किसी पादप की दशा में:—

(अ) परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी;

(आ) परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में सम्मिलित प्रजातियों के लिए, प्रजातियों के संबंध में अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट उसका कोई तुरंत अभिज्ञात किए जाने योग्य भाग या व्युत्पन्नी;

(ढ) ''व्यापार'' से निर्यात, पुन: निर्यात, आयात और समुद्र से प्रवेश अभिप्रेत है।

49ङ. इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे, अर्थात्:—

इस अध्याय के उपबंधों का अनुसूची 7 में सूचीबद्ध प्राणी और पादप प्रजातियों तथा विदेशी प्रजातियों को लागू होना।

(क) अनुसूची 7 में सम्मिलित प्राणी और पादप प्रजातियों के नमूने;

(ख) अनुसूची 7 के अंतर्गत न आने वाले प्राणी और पादप नमूनों की विदेशी प्रजातियां, जिनका निम्नलिखित के लिए विनियमन किया जाना अपेक्षित है:—

(i) भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों के देशी जीन पूल के संरक्षण के लिए; या

(ii) ऐसी प्रजातियां जो प्रकृतिस्वरूप आक्रामक हो सकती हैं और भारत के वन्य जीवों या पारिस्थितिकी प्रणाली के लिए खतरा साबित हो सकती हैं; या

(iii) ऐसी प्रजातियां, जो वैज्ञानिक प्राधिकरण की राय में, उनके उन वास स्थानों में, जिनमें वे प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं, क्रांतिक रूप से संकटापन्न हैं।

प्रबंध प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों को अभिहित किया जाना।

49च. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी अधिकारी को, जो अपर वन महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने और शक्तियों के प्रयोग करने के लिए, प्रबंध प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी।

1962 का 52

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रबंध प्राधिकारी किसी अनुसूचित नमूने के आयात, निर्यात और पुन:निर्यात को विनियमित करने संबंधी अनुज्ञापत्र और प्रमाणपत्र जारी करने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इस अध्याय के अधीन यथा अपेक्षित अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रबंध प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और वैज्ञानिक प्राधिकारी की सलाह पर प्राणियों और पादपों की ऐसी विदेशी प्रजातियों को अधिसूचित करेगा, जो अभिसमय के अंतर्गत नहीं आती हैं।

(4) प्रबंध प्राधिकारी, वार्षिक और द्विवार्षिक रिपोर्टें तैयार करेगा और उन्हें केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रबंध प्राधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करने के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी जितने आवश्यक हों, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे वेतन और भत्ते भी हैं जो विहित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगी।

(6) प्रबंध प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से [उपधारा (3) के अधीन विदेशी प्रजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति के सिवाय] अपने कृत्य या शक्तियां ऐसे अधिकारियों को जो सहायक वन महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिन्हें वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

प्रबंध प्राधिकारी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले साधारण सिद्धांत।

49छ. प्रबंध प्राधिकारी इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन या अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा, अर्थात्:—

(i) अनुसूची 7 के अधीन किसी नमूने का निर्यात या पुन: निर्यात या आयात इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार है;

(ii) निर्यात या आयात के लिए नमूने प्राणिसमूह या वनस्पतिसमूह के संरक्षण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं विधियों के उल्लंघन में अभिप्राप्त नहीं किए जाते हैं;

(iii) किसी जीवित नमूने के निर्यात या पुन:निर्यात को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है और पोत पर चढ़ाया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य को क्षति, नुकसान पहुंचने को या क्रूर व्यवहार के जोखिम को कम किया जा सके;

(iv) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी नमूने के आयात का उपयोग मुख्यत: वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है;

(v) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के जीवित नमूने के पुन: निर्यात के लिए पूर्व मंजूरी तथा अभिसमय के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए पुन: निर्यात प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा;

(vi) किसी जीवित नमूने के प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता को इसे सुरक्षित स्थान पर रखने और उसका ध्यान रखने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित है;

(vii) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के आयात के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्यात अनुज्ञापत्र या पुन: निर्यात प्रमाणपत्र की अपेक्षा के अलावा इस अधिनियम के अधीन या तो निर्यात अनुज्ञापत्र या पुन: निर्यात प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा;

(viii) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के समुद्र मार्ग से प्रवेश के लिए देश के प्रबंध प्राधिकारी से अभिसमय के उपबंध के अधीन जारी प्रमाणपत्र का दिया जाना अपेक्षित होगा;

(ix) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के किसी ऐसे देश से, जिसने उस प्रजाति को परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किया हुआ है, निर्यात के लिए निर्यात अनुज्ञापत्र के दिए जाने और प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा होगी, जो शर्त (ii) और शर्त (iii) को पूरा करने के बाद ही दिया जाएगा;

(x) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किसी प्रजाति के किसी नमूने के आयात के लिए, निम्नलिखित अपेक्षित होगा:—

(क) मूल स्थान के प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना; और

(ख) जहां आयात ऐसे किसी देश से है, जिसने उस प्रजाति को परिशिष्ट 3 में सम्मिलित किया हुआ है, निर्यात अनुज्ञापत्र; या

(ग) पुन: निर्यात की दशा में, पुन: निर्यात के देश के प्रबंध प्राधिकरण द्वारा दिया गया यह प्रमाणपत्र कि नमूना उस देश में तैयार किया गया था या उसका पुन: निर्यात किया जा रहा है, आयात के देश द्वारा इस बात के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि अभिसमय के उपबंधों का संबंधित नमूने के संबंध में अनुपालन किया गया है।

स्पष्टीकरण—खंड (viii) में ''समुद्र से प्रवेश'' पद से किसी भी प्रजाति के ऐसे नमूनों का भारत में परिवहन अभिप्रेत है, जो भारत की अधिकारिता के अधीन न आने वाले समुद्री पर्यावरण से लिए गए हों।

वैज्ञानिक प्राधिकारियों का अभिहित किया जाना।

49ज. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी एक या अधिक संस्थानों को, जो उसके द्वारा स्थापित किए गए हैं और वन्य जीव के अनुसंधान में लगे हुए हैं, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी।

(2) अभिहित वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकारी को ऐसे विषयों में सलाह देगा, जो प्रबंध प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) जब कभी वैज्ञानिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किहीं ऐसी प्रजाति के नमूनों का निर्यात सीमित किया जाए जिससे कि उस प्रजाति को ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली में, जिसमें वह पैदा होती है उसकी भूमिका से सुसंगत स्तर तक उसकी पूरी रेंज में और उस स्तर से ठीक ऊपर, जिसमें वह प्रजाति अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र हो बनाए रखा जा सके तो वह उस प्रजाति के नमूनों के लिए निर्यात अनुज्ञापत्र दिए जाने को सीमित करने के लिए प्रबंध प्राधिकारी को ऐसे उचित उपाय करने की सलाह देगा जिन्हें वैज्ञानिक प्राधिकरण उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

(4) वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकारी को सलाह देते समय, निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा, अर्थात्:—

(क) धारा 49छ में निर्दिष्ट ऐसा निर्यात या आयात उस प्रजाति के बचे रहने के लिए हानिकारक नहीं होगा; और

(ख) जीवित नमूने का प्रस्तावित प्राप्तिकर्ता इसे रखने और इसका ध्यान रखने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित है।

(5) वैज्ञानिक प्राधिकारी अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 में सम्मिलित प्रजातियों के नमूनों के लिए प्रबंध प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्रों को मानीटर करेगा।

(6) वैज्ञानिक प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विदेशी प्रजाति के ऐसे प्राणियों और पादपों की पहचान करे जो अनुसूची 7 के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनकी सूचना प्रबंध प्राधिकारी को दे और निम्नलिखित के लिए उनके विनियमन की अपेक्षा करे—

(i) भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों के देशी जीन पूल का संरक्षण करना; या

(ii) भारत के वन्य जीव या पारिस्थितिकी प्रणाली के खतरे को दूर करना क्योंकि ऐसी प्रजातियां स्वभाव से आक्रामक होती हैं;या

(iii) ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करना क्योंकि वैज्ञानिक प्राधिकारी की राय में वे उनके उस प्राकृतिक आवास में, जिसमें वे प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होती है, क्रांतिक रूप से संकटापन्न होती हैं।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

49झ. प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के प्रयोग करते समय ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, लिखित रूप में दिए जाएं।

समन्वय समिति का गठन।

49ञ. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी, राज्य मुख्य वन्य जीव वार्डनों और वन्य जीव के व्यापार से संबंधित अन्य प्रवर्तन प्राधिकारियों या अभिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक समन्वय समिति का गठन कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समन्वय समिति, ऐसे समय और स्थान पर अपनी बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, कार्य संचालन संबंधी ऐसी प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी, जो विहित किए जाएं।

अनुसूचित नमूनों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसकी बाबत निर्बंधन।

49ट. (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित अनुसूचीबद्ध नमूनों का कोई व्यापार नहीं करेगा:

परन्तु अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित अनुसूचित नमूनों को जिन्हें बंदी स्थिति में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रजनित किया गया है (उनके सिवाय जिन्हें वन में नहीं छोड़ा जा सकता है) या उक्त परिशिष्ट 1 में सम्मिलित किसी पादप प्रजाति के अनुसूचित नमूनों को, जिन्हें कृत्रिम रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रजनित किया गया है, अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 में सम्मिलित अनुसूचित नमूना समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अनुसार ही किन्हीं अनुसूचित नमूनों का कोई व्यापार करेगा, अन्यथा नहीं।

(3) किन्हीं अनुसूचित नमूनों का व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुसूचित नमूनों और संव्यवहार के ब्यौरों की रिपोर्ट देगा।

(4) अनुसूचित नमूनों का व्यापार करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को या किसी सीमाशुल्क अधिकारी को उसके लिए विनिर्दिष्ट निकासी और प्रवेश पत्तनों पर ही अनापत्ति के लिए उसे प्रस्तुत करेगा।

विदेशी प्रजातियों या अनुसूचित नमूनों का कब्जा, प्रजनन और घरेलू व्यापार।

49ठ. (1) किसी विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे नमूने या नमूनों के ब्यौरों की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में देगा जो विहित की जाए।

(2) प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या समाधान हो जाने पर कि कोई विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूना वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व ऐसे व्यक्ति के कब्जे में था, जो उसका स्वामी हो, या अभिसमय के अनुरूप अभिप्राप्त किया गया था, ऐसे अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजाति के ब्यौरों को रजिस्टर करेगा और स्वामी को ऐसे नमूने को प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात करते हुए विहित रीति में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजातियों का कब्जा, किन्हीं भी साधनों द्वारा चाहे वे जो भी हों, अंतरित करता है, ऐसे अंतरण के ब्यौरों की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी

या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी रीति में देगा जो विहित की जाए।

(4) प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अनुसूचित नमूनों या विदेशी प्रजातियों के सभी अंतरणों को रजिस्टर करेगा और अंतरिती को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी रीति में जारी करेगा, जो विहित की जाए।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई जीवित अनुसूचित नमूना या विदेशी प्रजाति है जिस पर कोई संतति अंकित है, ऐसी संतति के जन्म की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए।

(6) प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उपधारा (5) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजाति से जन्मी किसी संतति को रजिस्टर करेगा और स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी रीति में जारी करेगा, जो विहित की जाए।

(7) कोई भी व्यक्ति इस धारा और ऐसे नियमों के, जो विहित किए जाएं, अनुरूप ही किसी अनुसूचित नमूना या विदेशी प्रजाति को कब्जे में रखेगा, अंतरित करेगा या प्रजनित करेगा, अन्यथा नहीं।

(8) विदेशी प्रजातियों या अनुसूचित नमूनों का स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे देश में पाए जाने वाले वन्य प्राणी का देशी वंश समूह किसी रीति में संदूषित नहीं होता है, सभी आवश्यक पूर्वावधानियां बरतेगा।

अनुसूचित नमूनों के प्रजनन या उनकी कृत्रिम रूप से अभिवृद्धि करने में लगे व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण।

49ङ(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी अनुसूचित नमूने का बंदी रूप में प्रजनन या कृत्रिम रूप से उसकी अभिवृद्धि करने में लगा हुआ है, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक (वन्य जीव) को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वन संरक्षक (वन्य जीव) को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप, ऐसे आवेदन प्ररूप में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, वह रीति, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाएगा, ऐसे आवेदन पर संदेय फीस, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या रद्द करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।

49ढ. (1) धारा 49ङ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, वन संरक्षक (वन्य जीव)—

(क) यदि आवेदन विहित प्ररूप में है; और

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से पालन किया गया है,

तो रजिस्टर में कथन की प्रविष्टि अभिलिखित करेगा और आवेदक को रजिस्टर करेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

(2) यदि वन संरक्षक (वन्य जीव) का यह समाधान नहीं होता है कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से पालन किया गया है या यदि कोई मिथ्या विशिष्टि प्रस्तुत की जाती है तो वह, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा:

परंतु, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और दो वर्ष के पश्चात् उसका नवीकरण ऐसी फीस के संदाय पर, किया जा सकेगा, जो विहित की जाए।

(4) वन संरक्षक (वन्य जीव) के उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से **इंकार** किए जाने से या उसे रद्द किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक को अपील कर सकेगा।

किसी पहचान चिह्न को मिटाने का प्रतिषेध।

49ण. कोई भी व्यक्ति विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने या उसके पैकेज पर लगाए गए पहचान चिह्न को न तो परिवर्तित करेगा, न विरूपित करेगा और न ही मिटाएगा अथवा हटाएगा।

विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने का सरकारी संपत्ति होना।

49त. (1) ऐसी प्रत्येक विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूना, जिसके संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, केन्द्रीय सरकार की संपत्ति हो जाएगा।

(2) धारा 39 के उपबंध, जहां तक हो सके विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट वन्य प्राणियों और प्राणी वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट नमूना जीवित प्राणी है, वहां राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसे उसके प्राकृतिक आवास के लिए निर्मुक्त नहीं किए जाने की दशा में मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या बचाव केन्द्र में रखा जाए और उसकी देखभाल की जाए।''।

धारा 50 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 50 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''किसी वन अधिकारी'' शब्दों के पश्चात् ''या प्रबंध प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''पंक्ति से नीचे का न हो'' शब्दों के पश्चात् ''या किसी सीमाशुल्क अधिकारी के, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या तटरक्षक के किसी अधिकारी के, जो सहायक कमांडेंट की पंक्ति से नीचे का न हो,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(10) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि इस बात का प्रथमदृष्ट्या मामला है कि उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अभिगृहीत कोई संपत्ति, जिसके अंतर्गत यान या जलयान भी है इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने में किसी भी रूप में अंतर्वलित थी, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसके अधिकारवान् स्वामी को वह संपत्ति वापस किए जाने का आदेश तब तक नहीं करेगा जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 451 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस अपराध का विचारण समाप्त नहीं हो जाता है।''। 1974 का 2

नई धारा 50क, धारा 50ख, धारा 50ग और धारा 50घ का अंत:स्थापन।

25. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

परिदान लेने की शक्ति।

''50क. धारा 38म के अधीन गठित वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का निदेशक या इस निमित्त उसके प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी परेषण के परिदान का नियंत्रण (क) भारत में किसी गन्तव्य स्थान में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए; (ख) विदेश में, ऐसे विदेश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से जिसको परेषण भेजा जाता है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने हाथ में ले सकेगा।

अभिगृहीत या परिदत्त की गई वस्तु का भार पुलिस द्वारा लेना।

50ख. (1) किसी थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, जब कभी धारा 50 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा लिखित में अनुरोध किया जाए, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत और परिदत्त सभी वस्तुओं का भार लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(2) भारसाधक अधिकारी किसी अधिकारी को या जिसे प्रतिनियुक्त किया जाए, ऐसी वस्तुएं थाने में ले जाने के लिए साथ जाने की या ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने या उनके और उनसे नमूने लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार लिए गए सभी नमूने थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा के साथ सीलबंद किए जाएंगे।

1974 का 2

(3) केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी को अग्रेषित की गई वस्तु के संबंध में कार्यवाही करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।''।

धारा 51, धारा 51क और धारा 51ख के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन। शास्तियां।

26. (1) मूल अधिनियम की धारा 51 और धारा 51क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''51. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर उपधारा (2) से उपधारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में दंडनीय होगा।

(2) जहां अपराध अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से अन्यून की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी पांच लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा।

(3) जहां अपराध अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु या ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के विक्रय या क्रय या अंतरण या विक्रय या व्यापार की प्रस्थापना से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और ऐसे जुर्माने से भी, जो पंद्रह लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा, दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी तीस लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा।

(4) जहां अपराध अनुसूची 2 के भाग 1, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के विक्रय या क्रय या अंतरण या विक्रय या व्यापार की प्रस्थापना से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी,जो तीन लाख रुपए तक का, या दोनों, हो सकेंगे।

(5) जहां अपराध किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने या अभयारण्य या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से अन्यून की नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किंतु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी तीस लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा।

(6) जहां अपराध किसी व्याघ्र आरक्षिती में आखेट करने या किसी व्याघ्र आरक्षिती की सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित है वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और ऐसे जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किंतु तीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी पचास लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा।

(7) जहां अपराध धारा 38ञ के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों हो सकेंगे।

अन्य अपराध।

51क. (1) जहां कोई अपराध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के किसी अन्य निबंधन का उल्लंघन करने या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के किन्हीं निबंधनों और शर्तों को भंग करने से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि तीन वर्ष से अन्यून की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि कोई बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयातित हाथी दांत या ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसकी बाबत अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसा रद्दकरण या समपहरण किसी ऐसे दंड के अतिरिक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए अधिनिर्णीत किया जाए।

(4) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहां न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन उस व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए अनुदत्त की गई है, जिससे इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है उसे रद्द किया जाएगा और यह कि ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा। 1959 का 54

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध की बाबत दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो। 1974 का 2 1958 का 20

1974 का 2

51ख. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,— जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तों का लागू होना।

(क) इस अधिनियम के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय अपराध होगा;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो धारा 51 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त तब तक जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने संबंधी आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो।''।

27. मूल अधिनियम की धारा 55 में,— धारा 55 का संशोधन।

(क) खंड (कग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कघ) प्रबंध प्राधिकारी या कोई अधिकारी, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का अधिकारी भी है; या'';

(ख) अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1974 का 2

''परन्तु कोई न्यायालय भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का गठन करने संबंधी तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट अवलोकन करने पर अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।''।

28. मूल अधिनियम की धारा 61 में,— धारा 61 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में ''या एक अनुसूची से किसी अन्य अनुसूची में'' शब्दों के पश्चात् ''अनुसूची 7 के सिवाय'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2) केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक राज्य की क्षेत्र या स्थल संबंधी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के उत्तर में किन्हीं अनुसूचियों की प्रविष्टियों को जोड़ सकेगी या उनका लोप या उन्हें संशोधित कर सकेगी।'';

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(4) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और प्रबंध प्राधिकारी तथा वैज्ञानिक प्राधिकारी के परामर्श से, अनुसूची 7 को संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगी।

(5) इस अध्याय और अनुसूची 7 में अंतर्विष्ट कोई बात, अधिनियम और अनुसूची 1 से अनुसूची 6 (जिनमें दोनों सम्मिलित हैं) के अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात को प्रभावित नहीं करेगी।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विशिष्ट प्रजाति अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 या अनुसूची 6 तथा अनुसूची 7 के अधीन सूचीबद्ध की जाती है वहां इस अधिनियम के अनुसूची 1 से अनुसूची 6 से सुसंगत नियम के उपबंध ऐसी प्रजातियों को लागू होंगे।

(7) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।''।

29. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (1) में,— धारा 63 का संशोधन।

(क) खंड (कi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(कii) वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित नियम, मानक या प्रक्रिया और अन्य विषय;

(कiii) प्राणी फांस से संबंधित कोई विषय;

(कiv) धारा 5ख की उपधारा (3) के अधीन समिति, उपसमितियों या अध्ययन समूहों के निबंधन और शर्तें;

(कv) धारा 8क के अधीन समितियों के निबंधन और शर्तें;'';

(ख) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ञi) धारा 49च की उपधारा (5) के अधीन प्रबंध प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत वेतन और भत्ते भी हैं;

(ञii) धारा 49ञ की उपधारा (2) के अधीन समन्वय समिति की बैठकों में जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, कार्य संचालन संबंधी प्रक्रिया नियम;

(ञiii) धारा 49ट की उपधारा (2) के अधीन अनुसूचित नमूनों का कब्जा रखने या उनमें व्यापार करने के लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने की रीति; तथा धारा 49ट की उपधारा (3) के अधीन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे नमूनों की रिपोर्ट देने की रीति;

(ञiv) वह अवधि जिसके भीतर और वह रीति जिसमें विदेशी प्रजातियों का अनुसूचित नमूनों के ब्यौरों की धारा 49ठ की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट दी जाएगी;

(ञv) वह अवधि जिसके भीतर और वह रीति जिसमें विदेशी प्रजातियों का अनुसूचित नमूनों के अंतरण के ब्यौरों की धारा 49ठ की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट दी जाएगी;

(ञvi) धारा 49ठ की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की रीति;

(ञvii) वह प्ररूप अवधि और रीति जिसमें विदेशी प्रजातियों की संतति जन्म या अनुसूचित नमूनों की धारा 49ठ की उपधारा (5) के अधीन रिपोर्ट दी जाएगी;

(ञviii) वह रीति जिसमें धारा 49ठ की उपधारा (6) के अधीन स्वामी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;

(ञix) धारा 49ठ की उपधारा (7) के अधीन कब्जे, अंतरण और प्रजनन को विनियमित करने संबंधी नियम;

(ञx) धारा 49ड की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप, विशिष्टियां, रीति और उस पर संदेय फीस तथा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररूप और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या रद्द करने की प्रक्रिया;

(ञxi) धारा 49ढ की उपधारा (3) के अधीन संदेय फीस;

(ञxii) धारा 50 क के अधीन भारत में किसी गन्तव्य स्थान में या विदेश में किसी परेषण के परिदान की रीति।''

(ग) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना होगा या विहित किया जाए।

धारा 65 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

30. मूल अधिनियम की धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित किया जाना।

''65. इस अधिनियम की कोई बात अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजातियों के आखेट संबंधी अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।''।

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई अनुसूची 7 का अंत:स्थापन।

''अनुसूची 7

(धारा 49ङ देखिए)

परिशिष्ट 1

प्राणि-समूह (जंतु)

फाइलम कर्डेटा

वर्ग मैमेलिया (स्तनी वर्ग)

(स्तनधारी)

आर्टीयोडेक्टीला

एंटीलोकेप्रिडाए : प्रोंगहार्न

1. एंटीलोकेप्रा अमेरिकाना

बोविडाए : एंटीलोप्स,कैटल्स, डयूक्स, गोट्स, शीप आदि

2. एडेक्स नेजोमेकुलेट
3. बॉस गैरस
4. बॉस म्यूटस
5. बौस सॉवेली
6. ब्युबालस डेप्रेसिकोर्निस
7. ब्युबालस मिंडोरेंसिस
8. ब्युबालस क्वारलेसी
9. केप्रा फाल्कोनेरी
10. केपरीकोर्निस मिलनीडवारसी
11. केपरीकोर्निस रुबीडस
12. केपरीकोर्निस सुमात्रॉन्सीस
13. केपरीकोर्निस थार
14. सिफालोफस जेनटिंकी
15. गजेला कुवीयरी
16. गजेला लेप्टोसेरस
17. हिप्पोट्रेगस नाइजर वेरियानी
18. नीमोरीडस बाइली
19. नीमोरीडस कॉडेटस
20. नीमोरीडस गोरल
21. नीमोरीडस ग्रीसयस
22. नेनंजर डामा
23. ओरिक्स डेमा

24. ओरिक्स ल्यूकोरिक्स
25. ओवीस एमन होगसोनी
26. ओवीस एमन नाइग्रिमोंटना
27. ओवीस ओरएंटेलिस ऑफियन
28. ओवीस विग्नी विग्नी
29. पेंथेलोप्स होगसोनी
30. स्यूडोरिक्स गेंटिनहेंसिस
31. रुपिकेप्रा पाइरेनैका आरनेट

केमेलीडाए : गुआनाको, वीकुना

32. वीक्यूना वीक्यूना

सेरवीडाए : डीयर, ग्यूमलस, मंजक्स, प्यूडस

33. एक्सिस केलेमिएनेन्सिस
34. एक्सिस कुहली
35. एक्सिस पोर्सिनस एनामिटिकस

36. ब्लास्टोसीरस डाइकोटोमस
37. सर्वस एलेफस हांगलू
38. डामा डामा मेसोपोटामिका
39. हिप्पोकेमेलस एस पी पी
40. मंटीएक्स क्रिनिफ्रोंस
41. मंटीएक्स वुक्वांगेसिस
42. ओजोटेसेरस बीजोआर्टीक्स
43. प्यूडा प्यूडा
44. रुसरव्यस डुवैसेली
45. रुसरव्यस एल्डी

मोस्कीडाए : मस्क डीयर

46. मोस्कस एस पी पी (केवल अफगानिस्तान, भारत, मयंमार, नेपाल और पाकिस्तान की जनसंख्या । अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित हैं)

स्यूडाए : बेबीरोसा, पिग्मी होग

47. बेबीरोसा बेबीरोसा
48. बेबीरोसा बोलबेसुनसिंस बेबीरोसा सेलेबनसिंस
49. बेबीरोसा टोगीनेसिंस
50. सस साल्वनीयस

टायासुवेडाए : पेकरीज

51. कैटागोनस वागनेरी

कार्नीवोरा

एल्यूरीडाए : रेड पांडा

52. एलूरुस फल्जेन्स

कानिडाए : बुश डाग, लोमड़ी, भेड़िया

53. केनीस ल्यूप्स (केवल भूटान, भारत नेपाल और पाकिस्तान की जनसंख्या अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट-2 में सम्मिलित है । पलतू रुप को छोड़कर और वे डिंगो जो केनीस ल्यूप्स से परिचित और केनिस ल्यूपस डिगो निर्दिष्ट है)
54. स्पियोथोस वेनाटीक्स

फेलीडाए : कैट्स

55. एकीनोनीक्स जुबातस
56. काराकल काराकल (केवल एशिया की जनसंख्या : अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित है)
57. काटोप्यूमा टेमींसकी
58. फेलीस नीग्रीपिस
59. लिओपार्डस जियोफरोयी
60.. लिओपार्डस जेकोबीटस
61. लिओपार्डस पारडालिस
62. लिओपार्डस टिगरीनस
63. लिओपार्डस वाइएडी
64. लाइंक्स पारडिनस
65. निओफिलिस निब्यूलोसा
66. पैंथ्रा लिओ परसिका
67. पैंथ्रा ओन्का
68. पैंथ्रा पारडस
69. पैंथ्रा टीग्रीस
70. पारडोफेलीस मारमोराटा
71. प्रियोनाइल्यूरस बेन्गालेन्सिस बेन्गालेन्सिस (केवल बांग्लादेश, भारत और थाइलैंड की जनसंख्या : अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित है ।)
72. प्रियोनाइल्यूरस प्लानीसेप्स

73. प्रियोनाइल्यूरस रुबीजीनोसस
74. प्यूमा कानकोलर कोराई
75. प्यूमा कानकोलर कोस्आरिसेन्सिस
76. प्यूमा कानकोलर कोयूगुआर
77. प्यूमा यागओरण्डी (केवल केंद्रीय और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या । अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट -2 में सम्मिलित है ।)
78. यूसिंया यूसिंया

ल्यूट्रिनाए अटर्स

79. ओनीक्स कापेन्सिस माइक्रोडेन (केवल केमारल और नाइजीरिया की जनसंख्या अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट -2 में सम्मिलित है ।)
80. एनहाइड्रा क्यूटीस नीरीस
81. लौन्ट्रा फिलाईना
82. लौन्ट्रा लांगीकायूडीस
83. लौन्ट्रा प्रोवोकैक्स
84. ल्यूट्रा ल्यूट्रा
85. ल्यूट्रा नीप्पन
86. पेट्रोन्यूरा ब्रासीलेंसिस

म्यूस्टीलीनाए : ग्रीसंस, माटेन्स टायरा, वीएसील्स

87. क्यूस्टेला नीग्रीप्स

अटारिडीए फर सील्स, सियालिओन्स

88. अरेक्टोसिफाल्स टोवानसेंडी

फोसीडाए : सील्स

89. मोनेक्स एस पी पी

यूरसीडीए : बीयरस, जायन्ट पांडा

90. एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका
91. हेलारक्स मलायानस
92. मेलूरसस सूरसीनस
93. ट्रेमाक्टोस आर्नेक्स
94. यूरस्यूस अरक्टोस (केवल भूटान, चीन मैक्सिको और मंगोलिया की जनसंख्या, अन्य सभी जनसंख्या परिशिष्ट 2 में सम्मिलित है ।)
95. यूरस्यूस अरक्टोस इसबिलीनस
96. यूरस्यूस थाइबीटानस

वाइवेरीडीए : बिनटयूरांग, सीवेटसलिनसंगस अटर-कीवेट, पासम कीवेटस

97. प्रियोनोडोन पारडिकालर

सेटासी डाल्फिनस, पोरपाइसस, वहेल्स

बालाएनीडाए : शीर्षमंडी व्हेल, सीधी व्हेल

98. बालएना माइस्टेसेसज
99 यूबालएना एसपीपी

बालाएनोप्टीरिडीए हम्पबैक व्हेल, रॉरक्यूलस

100. बालाएनोप्टेरा अक्यूटोरसट्राटा (पश्चिमी ग्रीनलैंड की जनसंख्या के सिवाय, जो कि परिशिष्ट 2 में सम्मिलित है)
101. बालाएनोप्टेरा बोनाएरिन्सिस
102. बालाएनोप्टेरा बोराएलिस
103. बालाएनोप्टेरा एडइनी
104. बालाएनोप्टेरा मसक्यूलस
105. बालाएनोप्टेरा ओमुराई
106. बालाएनोप्टेरा फाइसाल्स
107. बालाएनोप्टेरा नोवाएनक्लिया

डेलफीनीडाए : डॉलफिन्स

108. ओरसाइला ब्रेविरोस्ट्रीरिस
109. ओरसाइला हीयन्सेहनी
110. सोटालिया एसपीपी
111. सोयुसा एसपीपी

एस्क्रीच्टाडीए : ग्रे व्हेल्स

112. एस्क्रीच्टीयस रोबुसटस

इनीडाए : रीवर डालफिन्स

113. लिपोटेस वेक्सीलीफर

निओबालाएनीडाए : पिग्मी राईट व्हेल

114. कापेरीआ मारगीनाटा

फोकोइनिडिए : पोरपोइसिस

115. नियोफोकाइना फोकोनाइडस
116. फोकाइना साइनस

फाइसेटेरीडाए : स्पर्म व्हेल

117. फाइसेंटर मैक्रोसेफालस

प्लाटानिस्टीडाए : रीवर डालफिन्स

118. प्लाटानिस्टा एसपीपी
119. जिफ्फाडीए : बेक्डव्हेल्स, बोटल-नोस्ड व्हेल्स
120. बेरारडियस एसपीपी
121. हाइप्रोडोन एसपीपी

क्रिरोप्टेरा

पटेरोपोडीडाए : फ्रूट बैटस फलाइंग फाक्सेस

122. एकिरोडान ज्यूबाटस
123. पटेरोपस इन्स्यूलारीस
124. पटेरोपस लूकोएन्सिस
125. पटेरोपस मैरीन्यूस
126. पटेरोपस मोलोसाइनस
127. पटेरोपस पेलेवेन्सिस
128. पटेरोपस पाइलोसस
129. पटेरोपस सामोएन्सिस
130. पटेरोपस टोंगानस
131. पटेरोपस युआलानस
132. पटेरोपस यापेन्सिस

सिंगूलाटा

डसाईपोडीडी : आरमडीलस

133. प्रीओडोन्टेस मैक्सीमस

डसायूरोमोरफिया

डसायुराडाए : डुन्नार्टस

134. स्मिन्थोप्सिस लॉगीकाउडाटा
135. स्मिन्थोप्सिस सामेफिलिया

थाईलासीनीडाए : तासमानीयन भेड़िया, थाईलान्सीन

136. थाईलासाइनस साइनोसेफुलस (संभावित विलुप्त)

डाइपरोटोडोन्सिया

मेक्रोपोडीडाए : कंगारुस, बालवीज

137. लैबोरेचेस्टिस हिरस्टस
138. लेबोस्ट्रोफस फैस्कएटस
139. ओनाइकोगालिया फ्रेइनाटा
140. ओनाइकोगालिया ल्यूनाटा
141. फैलेन्गरिडाए कस्कसेस

पोटोरोइडे- रैट-कंगारुस

142. बिटोंगिया एसपीपी

143. कोलोप्रीक्यूनस कैम्पेस्ट्रीज(संभावित विलुप्त)

वाम्बाटिडे : नार्दनहेयरी नोज्ड वोम्बेट

144. लेसीओरहीनस क्रेफ्टी

लेगोमोर्फा

लेपोरीडाए : हिस्पीड हेयर, वालकेनो रैबीट

145. केपरोलागस हिस्पीडस

146. रोमेरोलागस डीयाज़ी

पेरामेलेमोर्फिया

कयरोपोडीडाए : पीगफूटेड बंडीकूट्स

147. कायरोपस एक्वाडाटस (संभावित विलुप्त)

पेरामेलीडाए : बंडीकूटस, इकाइमीपेरास

148. पेरामेलेस बोउगेंनवीली

थाईलासोमाई डे : बील्बीस

149. मेंक्रोटीस लेगोटीस

150. मेंक्रोटीस ल्यूकूरा

पेरीसोडाकटाइला

इक्वीडे : घोड़े, जंगली गधे, जेब्रास

151. एकुअस अफ्रीकानस

152. एकुअस ग्रेवाई

153. एकुअस हीमोयोनस हीमोयोनस

154. एकुअस हीमोयोनस खुर

155. एकुअस प्रेजीवाल्सकी

156. एकुअस जेब्रा जेब्रा

राइनोसेरोटीडाए : गेंडे

157. राइनोसेरोटीडाए एसपीपी (परिशिष्ट -2 में सम्मिलित उपजातियों के सिवाय)

टेपीरीडाए : टेपीरस

158. टेपीरीडाए एसपीपी (परिशिष्ट -2 में सम्मिलित जातियों के सिवाय)

प्राइमेटस ऐप्स, मंकीस

एटलीडाए : हाउलर और प्रीहेन्साइल-टेल्ड-मंकीस

159. आल्यूटा कोइबेन्सिस

160. आल्यूटा पालिएटा

161. आल्यूटा पीग्रा

162. एटील्स जियोफ्राइ फ्रान्टाटस

163. एटील्स जियोफ्राइ पानामेन्सिस

164. ब्राकाईटेलस एराचनोइडस

165. ब्राकाईटेलस हाइपोक्सेन्थस

166. अरीयोनक्स फलेवीकाउडा

167. सीबिडे न्यू वर्ल्ड मंकीस

168. कालीमिको गोयल्डी

169. कालिथ्रिक्स अयूरिटा

170. कालिथ्रिक्स फ्लावीसेप्स

171. लियोन्टोपिथेकस एसपीपी

172. साग्वीनस बाइकोलर

173. साग्वीनस जियोफ्राई

174. साग्वीनस लियोकोपस

175. साग्वीनस मारटींसी

176. साग्वीनस ओएडीपस

177. साइमीरी ओरसटेडी

केरकोपीथेसाइडे : ओल्ड वर्ल्ड मंकीस

178. केरकोसेबस गलेरीटस
179. केरकोपिथेकस डीआना
180. केरकोपिथेकस रोलोवाय
181. मैकाका सिलेनस
182. मैन्ड्रीलस ल्यूकोफायूस
183. मैन्ड्रीलस स्फिंकस
184. नासालिस लार्वाटस
185. पीलीओकोलोबस कीरकी
186. पीलीओकोलोबस रुफोमीट्रेसस
187. प्रेसबाइटस पोटेन्जियानी
188. पाइगाथ्रिक्स एसपीपी
189. राइनोपिथेकस एपपीपी
190. सिम्नोपिथेक्स अजाक्स
191. सिम्नोपिथेक्स डुसुमीएरी
192. सिम्नोपिथेक्स एन्टील्यूस
193. सिम्नोपिथेक्स हेक्टर
194. सिम्नोपिथेक्स हाइपोल्यूकस
195. सिम्नोपिथेक्स प्रीआम
196. सिम्नोपिथेक्स सिसटाकस
197. सीमाआस·कोन्कोलर
198. ट्राकाईपिथेकस गी
199. ट्राकाईपिथेकस पिलेटस
200. ट्राकाईपिथेकस शोट्रीजी

केइरोगालीडे : डवार्फ लेमुर्स

201. केइरोगालीडे एसपीपी

डाउबेन्टोनीडाए : आये-आये

202. डाउबेन्टोनीआ मेडागास्करेन्सिस

होमीनीडाऐ : चिम्पान्जीस, गोरिल्ला ओरांग-उटान

203. गोरिल्ला बेरींगी
204. गोरिल्ला गोरिल्ला
205. पान एस पी पी
206. पोंगो अबेली
207. पोंगो पाइग्मायूस
208. हाइलोबाटीडाए गिब्बन्स
209. हाइलोबाटीडे एसपीपी

इन्ड्रीडाए : अवाही, इंड्रीस, सीफाकस वूली लेमयूर्स

210. इन्ड्रीडाए एसपीपी

लेमयूरीडाए : बडे लेमर्स

211. लेमयूरीडाए एसपीपी

लेपीलेमयूरीडाए : स्पोर्टिव लेमर्स

212. लेपीलेमयूरीडाए एसपीपी

लोरीसीडाए : लोरीसिस

213. नाइक्टीसेबस एसपीपी

पीथेसीडाए : साकीस और उआकारीस

214. काकाजाओ एसपीपी
215. कीरोपोटस अल्बीनासस

प्रोबोसीडीआ

एलीफेन्टीडाए : हाथी

216. ऐलीफस मैक्सीमस

217. लोक्सोडोन्टा अफ्रीकाना (बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाबवे की जनसंख्या के सिवाय जो परिशिष्ट 2 में सम्मिलित है)

रोडेन्शिया

चिनचिलीडाए : चिनचिलास

218. चिनचिला एस पी पी(पालतू आकार के नमूने अधिवेशन के उपबंधों से संबंधित नहीं है)

मुरीडाए : माइस, रैटस

219. लेपोरील्यस कान्डिटोर

220. स्यूडोमाइस फिल्डी प्रेइकोर्नीस

221. जिरोमाइस माइयोडेस

222. जाइजोमाइस पेडयूनक्यूलाइरस

सीयुरीडाए : ग्राउंड स्कवेरेल्स, ट्री स्कवेरेल्स

223. साइनोमाइस मैक्सीमानस

सीरीनीआ

डुगोनजीडाए : डुगोंग

224. डुगोंग डयुगोन

ट्रीकीचेडाए : मानाटीस

225. ट्रीकेचस इनुंगुइस

226. ट्रीकेचस मानाटस

पक्षी वर्ग
(पक्षी)

अनसेरीफॉर्मस

अनाटिडी : डक्स, गिज, स्वान आदि

227. अनस आम्कलाण्डीका

228. अनस क्लोरोटीस

229. अनस लायसेनेन्सिस

230.. अनस निसिओटीस

231.. असरकार्निस स्कयूटुलाटा

232.. ब्रांटा कनेडेन्सिस ल्यूकोपारिया

233.. ब्रांटा सेंडीवीसेन्सिस

234.. रोड़ोनैसा कारयोफाइलासीया (संभावित विलुप्त)

एपोडीफोर्म

ट्रोकीलीडाए : हमिंगवर्डस

235. गल्ओसी डोर्हनी

काराड्रीफोर्मस

लारीडाए : गुल

236. लारुउस रेलीक्टस

स्कोलोपेसीडाए : करल्यूस, ग्रीनशंकस

237. नुमेनीयस बोरेलीस

238. नुमेनीयस टेन्योरट्रिस

239. ट्रींगा ग्यूटीफर

कीकोनीफार्मस

किकोनीडाए : स्टार्कस

240. किकोनिया बायसीआना

241. जबीरु माईसटेरिया

242. माइसटेरिया सीनेरिया

थ्रेसकीओरनीथीडाए : इबीसेस, स्पूनबील्स

243. गेरोन्टीकस एरेमीटा

244. निप्पोनिया निपन

कोलम्बीफार्मस

कोलम्बीडाए : डोव्स पिजन्स

245. केलोएनस नीकोबरीला

246. डयूकूला मींडोरेन्सिस

कोराकीफोर्मस

ब्यूकेरोटीडा, हार्नबिलल

247. एसीरोज नीपलेन्सिस

248. ब्यूसरोज बीर्कोनीस

249. राइनोप्लेक्स विगिल

250. राइटीसीरोज सुबरुफीकोलीस

फालकोनिफार्मस : इगल्स, फाल्कन्स, होक्स, चल्वर्स

एसीपीटरीडाए : हाक्स, ईगल्स

251. अक्युएला अडालबेरटी

252. अक्युएला हेलीआका

253. कोन्ड्रोहरिक्स अनसाईनेटस विल्सोनी

254. हेलीयटस अल्बीसीला

255. हरपीआ हरपाइजा

256. पीथेकोफागा जेफेरपी

केथारटीडाए : न्यू वर्ल्ड वल्चर्स

257. जिमनोजिप्स केलीफोरनीअनस

258. वल्चर ग्राईफस

फाल्कोनीडाए : फाल्कनस

259. फाल्को अरायुस

260. फाल्को जगर

261. फाल्को न्यूटोनी

262. फाल्को पेलेग्रीनोइडस

263. फाल्को पेलेग्रीनस

264. फाल्को पंचेटस

265. फाल्को रुस्टीकोलस

गेलीफोर्मस

क्रासीडाए : चाचालाकस, कुरासओस गुआनस

266. क्रेक्स बलूमेनबाची

267. मीटू मीटू

268. ओस्सिओफेसिस डेरबीआनस

269. पेनेलोप अल्बीपेनीस

270. पीपील जकुटींगा

271. पीपील पीपील

मेगपोडीडाए : मेगापोडस, स्करुबफाउल

272. मेक्रोसीफलोन मेलीओ

फेसीएनीडा : ग्राउस, गुएनीफाउल, पारट्रीज फेसेन्टस, ट्रेगोपास

273. केटरीयूस वालीची

274. कोलीनस वीरगीनीआनस रीजवाई

275. क्रोसोप्टीलन क्रोसोप्टीलन

276. क्रोसोप्टीलन मेंटयुरीकम

277. लोफोफोरस इम्पेजानुस

278. लोफोफोरस लुहयासी

279. लोफोफोरस स्कल्टरी

280. लोफुरा एडवार्डसी

281. लोफुरा इम्पेरीआलीस
282. लोफुरा स्वीनहोई
283. पीलीप्लेक्ट्रोन नेपोलियनीस
284. रेहीयानारडीया ओसेलाटा
285. सिरमेटिकस एलिओटी
286. सिरमेटिकस ह्यूमी
287. सिरमेटिकस मिकाडो
288. टेट्रूमैलस केसपियस
289. टेट्रूमैलस तिबेतनस
290. ट्रेगोपैंन ब्लाइथी
291. ट्रेगोपैंन कबोटी
292. ट्रेगोपैंन मेलानोसिपौलस
293. टिम्पैनलस क्यूपिडो एटवाटरी

ग्रुइफार्म्स

ग्रुडाय : क्रेन्स

294. ग्रुस अमेरिकाना
295. ग्रुस केनोसिंस नेसिओटस
296. ग्रुस केनोसिंस पुला
297. ग्रुस जेपोनेंसिस
298. ग्रुस ल्यूकोगेरानस
299. ग्रुस मोनेचा
300. ग्रुस नाइग्रीकोलिस
301. ग्रुस वीपिओ

ओटीडीडाए : बस्टर्डस

302. अरडीओटीस नीगरीसेप्स
303. क्लेमायोडीटीस मेक्वीनी
304. क्लेमायोडीटीस अन्डयूलाटा
305. हाउबरोप्सिस बेंगालेंसिस

रेलिडाय : रेल

306. गेलीरेलस सिल्वेस्ट्रिस

राइनोकिटीडी : कागू

307. राइनोकीटोस जुबेटस

पासेरीफार्मस

एट्रीकारनीथीडाए : स्क्रब बर्ड

308. एट्रीकॉरनीस क्लामोसस

कटींजीडाए : कोटींजस

309. कोटीजां मेक्यूलाटा
310. जाइफोलेना अट्रोपुरपुराए

फ्रींगीलीडाय : फीन्चिस

311. कारडुएलीस कुक्युलाटा

हीरूण्डीनीडाय : मार्टीन

312. स्यूडोकेलीडोन सीरीनटाराए

इकटेरीडाय : ब्लैक बर्ड

313. जेन्थोप्सर फ्लेवस

मेलीफागीडाय : हनी ईटर

314. लाइकेनोस्टोमस मिलानोपस कासीडीक्स

मस्सीकेपीडे : ओल्ड वर्ल्ड फ्लाइकैचर्स

315. डासीपोसनीस ब्रोडबेन्टी लिटोरेलीस (संभावित विलुप्त)

316. डासीयोरनीस लोंगीरोस्ट्रिस

317. पिकैथारटस जिमनोसेफालस

318. पिकैथारटस आरोस

पीटीडाए : पीटास

319. पीटा गुरनेयाई

320. पीटा कोची

स्टर्नीडाय : माइनाहस (स्टारलिंगस)

321. ल्यूकोप्सार रोथसचिल्डी

जोसटिरोपिडे : वाईट-आई

322. जोसटरोप्स एल्बोगुलारिस

पेलेकनीफॉर्म्स

फ्रेगेटीडाय : फ्रिगेटबर्ड

323. फ्रिगेटा एन्ड्रयूसी

पेलेकनीडाय : पेलीकन

324. पेलेकानस क्रिस्पस

सुलीडाय : बूबी

325. पापासुला अब्बोटी

पीकीफॉर्म्स

पीकीडाय : वुडपीर्कस

326. केम्पेफीलस इम्पीरीयलीस

327. ड्रापोकोपस जावेसिंस रिर्चडसी

पोडीसीपेडीफॉर्म्स

पोडीसीपेडी : ग्रेब

328. पोडीलाइम्बर गीगास

प्रोसेलरीफॉर्म्स

डियोमाडीडाई : एल्बाट्रोस

329. फोएबेस्ट्रीया एल्बाट्रोस

सीटासीफॉर्म्स

काकाट्युडाए : कोकाटूज

330. काकाटुआ गोफीनिआना

331. काकाटुआ हीमेथ्यूरोपाइजीआ

332. काकाटुआ मालूकेसिंस

333. काकाटुआ सल्फयूरिया

334. प्रोबोसीजर एटेरिमस

लोरीडाय : लोरीज, लोरीकीटस

335. एओस हीस्टीरीओ

336. विनी अल्ट्रामारीना

सीटासीडाए : अमेजोनस, माकाऊस, पैराकीटस, पैरटस

337. अमेजोना एराउसियाका
338. अमेजोना औरोपेलियाटा
339. अमेजोना बार्बा डेसिंस
340. अमेजोना ब्रासिलेसिंस
341. अमेजोना फिंस्ची 5
342. अमेजोना गिल्डीगी
343. अमेजोना इम्पीरियलिस
344. अमेजोना ल्यूलोसेफाला
345. अमेजोना ओराट्रिक्स 10
346. अमेजोना प्रेट्री
347. अमेजोना रोडोकोरइथा
348. अमेजोना टुकुमाना
349. अमेजोना वर्सीकलर 15
350. अमेजोना विनासिया
351. अमेजोना वीरीडीजेनालीस
352. अमेजोना वीटाटा
353. अनोडोराइंचस एसपीपी.
354. अरा एंबीगुअस 20
355. अरा ग्लाऊकोगुलिरिस
356. अरा मकाऊ
357. अरा मिलीटारीज
358. अरा रूब्रोजेनाइस
359. सयानोप्सीटटा स्पिक्ली
360. सायनोरेफंस कुकी 25
361. सायनोरेफंस फोरबेसी
362. सायनोरेफंस नोवेजेलनाडाए
363. सायनोरेफंस साइसेती
364. साइक्लोप्सीटटा डायोप्थालमा कोक्सेनी
365. यूनाइक्फिंकस कोर्नयुटस 30
366. गुवारोऊबा गुवोरोऊबा
367. नियोफेमा कायसोगेस्टर
368. ओग्नोरायंचस इफ्टिरोटिस
369. पेजोपोरस ओक्सीडेन्टलिस
(संभावित विलुप्त) 35
370. पेजोपेरस वालिकस
371. पायनोपसिटटा पाइलेटा
372. प्रीमोलीयस काऊलोनी
373. प्रीमोलीयस माराकाना 40
374. सेफोटस क्रीसोप्टेराइजियस
375. सेफोटस डिसीमीलीस
376. सेफोटस पुलकेरिमस
(संभावित विलुप्त)
377. सिटटाक्यूला इको 45
378. पायराहुरा क्रुएंटाटा
379. राइन्कोप्सिटटा एसपीपी.
380. स्ट्रीगोप्स हेबरोप्टीलस

रीआईफॉर्म्स

रीआइडाए : रीआज

381. टेरोसनेमिया पेनाटा (टेरोसनेमिया पेनाटा पेनाटा, जो परिशिष्ट 2 में सम्मिलित है, के सिवाय)

स्फीनीसीफॉर्म्स

स्फीनीसीडाए : पेंग्विन्स

382. स्फीनीस्कस हमबोल्डटी

स्ट्रीजीफॉर्म्स : उल्लू

383. हेटरोक्लोक्स ब्लेवीटी

384. मिमीजुकु गुरनेई

385. निनोक्स नाटालिस

386. निनोक्स नोवेसिलेंडाई अनडुलाटा

टाइन्टोनीडाए : बार्न उल्लू

387. टाइटो सोमेग्नई

स्टूथीयोनीफॉर्म्स

स्टूथीयोनीडाए : शर्तुर्मुग

388. स्टूथीयो केमेलस

टीनामीफॉर्म्स

टीनामीडाए : टीनामोउस

389. टीनामोउस सोलीटेरीयस

ट्रोगोनीफॉर्म्स

ट्रोगोनीडाए : क्वेजल्स

390. फारोमेकुरस मोसीनो

रैपटीलिया वर्ग

(सरीसृप)

क्रोकोडाइलला : एलीगेटर्स, कैमन्स, क्रोकोडाइलस

391. क्रोकोडाइला एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित सजातियों के सिवाए)

एलीगेटरीडाए : एलीगेटरस, कैमन्स

392. ऐलीगेटर सीनेसिंस

393. कैमन क्रोकोस अपापोरिएसिंस

394. कैमन लाटीरोस्ट्रीस (अर्जेन्टीना की जनसंख्या के सिवाए, जो परिशिरूट 2 में सम्मिलित है)

395. मिलानोसकर नीगर

क्रोकोडाइलीडाए : मगरमच्छ

396. क्रोकोडाइलस एक्यूटस

397. क्रोकोडाइलस काटोफ्रेक्टस

398. क्रोकोडाइलस इन्टरमिडिसल

399. क्रोकोडाइलस मिण्डोरेसिस

400. क्रोकोडाइलस मोरेलेटी

401. क्रोकोडाइलस नीलोटीकस नीलोटीकस

402. क्रोकोडाइलस पालुस्ट्रीस

403. क्रोकोडाइलस पोरोसस

404. क्रोकोडाइलस रोम्बीफर

405. क्रोकोडाइलस सियामेसिंस

406. ओस्टेलोमस टेट्रासपिस

407. टोमीसटोमा स्कलेजेली

गावीआलीडाए : गावीयल

408. गावीआलीस गैंगस्टिकस

राइनकोसेफाला

स्फेनोडोन्टीडाए : टुआटरा

409. स्फेनोडोन एसपीपी.

साउरीया

केमेलिओनीडाए : केमेलिओन्स

410. ब्रूकोसिया पेरारमाटा

हेलोडरमाटीडाए : बीडेड लिजार्ड, गिजर मॉनस्टर

411. हेलोडमी होरीडम कारलेसबोगेरटी

इगुवानिडाए : इग्वानस

412. ब्राकाइलोफस एसपीपी.

413. साइक्लुरा एसपीपी.

414. साउरोमेलस वेरियस

लेसरटीडाए : लिजार्डस

415. गैलोशिया सीमोनई

वरानीडाए : मॉनीटर लिजार्डस

416. वरानस बेंगालेन्सिस

417. वरानस फ्लेवीसेंस

418. वरानस ग्रीसस

419. वरानस कोमोडेन्सिस

420. वरानस नेबुलोसस

सरपेन्टस : स्नेक्स

बोएडाए : बोस

421. अक्रान्टोफीस एसपीपी.

422. बो कोसट्रिकटर आक्सीडेंटलीस

423. एपीक्रेटस इनोरनेटस

424. एपीक्रेटस मोनेसिंस

425. एपीक्रेटस सबफलेवस

426. संजीनिया मेडागासकरियसिंस

बोलाइरीडाए : राउंड आइलैंड बोस

427. बोलाइरीया मल्टोकारीनाटा

428. कसेरिया डुसुमेरी

लोक्सोसेमीडाए : मैक्सीकन डवार्फ बोआ

429. पाईथन मोलुरस मोलुरस

ट्रोपीडोफिडाए : बुड बोस

430. वाइपेरा पूरसीनी

टेस्टुडीनस

केलीडाए : ओस्ट्रो-अमेरिकन साइड-नेक्ड टर्टलस

431. स्यूडेमाइडुरा अम्बरीना

केलोनीडाय़ : मरीन टर्टलस

432. केलोनीडाय एसपीपी.

एमाइडीडाय : बाक्स टर्टलस, फ्रेस वाटर टर्टलस

433. ग्लाइप्लेमाइस मुहलेन्बरगी

434. टेरापीने कोआहुयला

जियोएमाईडीडाय : बाक्स टर्टलस, फ्रेस वाटर टर्टलस

435. बटागुर अफ्फीनीस
436. बटागुर बासका
437. जियोक्लेमीज हेमिल्टोनी
438. मिलेनोकिलाइस ट्राईकेरीनाटा
439. मोरेनिया ओसीलाटा
440. पंगुशआरा टेक्टा

टेस्टुडीनीडाय : टोरटॉयसिस

441. अस्ट्रोफिलाइस रेडिआटा
442. अस्ट्रोफिलाइस यीफोरा
443. केलोनोइडीस नीगरा
444. गोफेरस फलेवोमार्गिनाटस
445. सामोबेटस जियोमेंट्रीकस
446. पाईक्सीस अराक्नॉयडल
447. पाईक्सीस प्लानीकौडा
448. टेस्टुडो क्लीनमन्नी

ट्रिओनिचिडाए : सोफ्टशेल, टर्टल्स, टैरापिन्स

449. ऐपालोने स्पिनिफरो ऐटरा
450. एसपिडिरीट्स गैंजीटिक्स
451. एसपिडिरीट्स हुरम
452. एसपिडिरीट्स निग्रीकेन्स

एफिबिया वर्ग
(एमफिबियन्स)

अनुरा

बुफोनिडाए : टोड्स

453. एल्टीफिरनॉयडस एसपीपी.
454. ऐटोलोपस जेटकी
455. बुफो पेरीग्लेन्स
456. बुफो सुपरसिलियेरिस
457. नेक्टोफिरनॉयडस एसपीपी.
458. निंबाफिरनॉयडस एसपीपी.
459. स्पाइनोफिरनॉयडस एसपीपी.

माइक्रोहाइलेडाए : रेड रेन फ्राग, टोमेटो फ्राग

460. डासकोफस एंटोगिली

क्रीपटोब्रांचीडाए : जियांट सलामेंडर्स

461. एन्ड्रियास एसपीपी.

सेलामैंड्रिडाए : न्यूट्स एंड सेलामेन्डर्स

462. न्यूररजस काइसेरी

एलासमोब्रान्ची वर्ग
(शार्क)

रजीफार्मस

प्रिस्टिडाए : सॉफिशेस

463. प्रिस्टिडाए एसपीपी. (परिशिष्ट 2 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

एसिपेनसरिफॉमर्स : पैडलफिशेस, स्टर्जियन्स

एसिपेनसरिडाए : स्टर्जियन्स

464. एसिपेन्सर ब्रेविरोस्ट्रम

465. एसिपेन्सर स्टुरियो

सिप्रिनिफॉर्मस

केटोस्टोमीडाए : च्यूई-यूई

466. चासमिस्टेस क्युजस

सिप्रिनिडाए : ब्लाइन्ड कार्प्स, प्लेसोक

467. प्रोबार्बस जुलेनी

ओस्टिओग्लोसिफॉर्मस

ओस्टिओग्लोसिडाए : अरापैइमा, बोनीटंग

468. स्केलेरोपेजेस फोमोमस

परसीफॉर्मस

सीऑनिडाए : टोटोआबा

469. टोटोआबा मेक्डोनाल्डी

सिलुरीफॉर्मस

पेंगासिडाए : पैंगासिड कैटफिश

470. पेंगासिआनोडोन गिगास

सारकोप्टरीजी वर्ग
(लंगफिशेस)

कोइलाकैंथीफॉर्मस

लैटिमेरिडाए : कोइलाकैंथ्स

471. लेटीमेरीया एसपीपी.

फाइलम आर्थोपोडा

लेपिडोप्टेरा

पपिलिओनिडाए : बर्डविंग, बटरफ्लाईस, स्वेलौटेल बटरफ्लाईस

472. ऑरनीथोप्टेरा एलेक्जेन्ड्राय

473. पापिलिओ चिकाय

474. पापिलिओ होमरुस

475. पापिलिओ होस्पिटोन

फाइलम मौलस्क

बीवाल्विया वर्ग
(क्लैम्स एंड मसल्स)

यूनीओनॉएडा

यूनीओनाइडाए : फ्रैशवाटर मसल्स, पीअरली मसल्स

476. कोनरडिला केलेटा

477. ड्रोमस ड्रोमास

478. ऐपिओब्लास्मा कर्टिसी

479. ऐपिओब्लास्मा फ्लोरेन्टिना

480. ऐपिओब्लास्मा सेम्पसोनी

481. ऐपिओब्लास्मा सलकेटा पीरोब्लिक्यूआ

482. ऐपिओब्लास्मा टोरूलोसा गबार्नाकुलम

483. ऐपिओब्लास्मा टोरूलोसा टोरूलोसा

484. ऐपिओब्लास्मा टरगिडुला

485. ऐपिओब्लास्मा वाकेरी

486. फ्यूसोनाइआ क्यूनिओलस

487. फ्यूसोनाइआ एजारिआना

488. लेम्पसिलिस हिजिन्सी

489. लेम्प्सिलिस ओरबिकुलाटा ओरबिकुलाटा

490. लेम्पसिलिस सेटुर
491. लेम्पसिलिस वाइरेसींस
492. प्लेथोबेसस सिकेट्रीकोसस
493. प्लेथोबेसस कूपेरिएनस
494. प्लयूरोबेमा प्लेनम
495. पोटामिलस कैपेक्स
496. क्वाड्रूला इंटरमिडिया
497. क्वाड्रूला स्पर्सा
498. टोक्सोलास्मा सिलिन्ड्रेला
499. यूनीओ निकलिनिआना
500. यूनीओ टेम्पीकोएन्सिस टेकोमेटेंसिस
501. विल्लोसा ट्रेबेलिस

स्टाइलोम्मेटाफोरा

एकेटिनेल्लिडाय : एगेट स्नेल्स, ओआहू ट्री स्नेल्स

502. ऐकेटिनेल्ला एसपीपी

फ्लोरा (प्लांट)

अगावेसी : अगावेस

503. अगावे पर्वीफ्लोरा

एपोसायनेसी एलीफेन्ट ट्रंक्स, हुडीआस

504. पेकीपोडियम ऐम्बोजेन्स
505. पेकीपोडियम बैरोनी
506. पेकीपोडियम डेकारयी
507. एराओकेरिआसी : मंकी-पजल ट्री
508. एराओकेरिया एराओकाना

केक्टेसी : केक्टी

509. एरियोकार्पस एसपीपी.
510. एस्ट्रोफाइटम एस्ट्रीआस
511. एजटेकियम रिटेरी
512. कोरीफान्था वरडेरीमनी
513. डिस्कोकेक्टस एसपीपी.
514. ऐकिनोसीरियस फेरेरिअनस एसपीपी लिन्डसायी
515. ऐकिनोसीरियस स्कमोल्ली
516. एस्कोबारिया मिनिमा
517. एस्कोबारिया स्नीडी
518. मेम्मीलारीआ पेक्टीनीफेरा
519. मेम्मीलारीआ सोलीसीयोआइड्स
520. मेलोकेक्टस कोनोइडीयस
521. मेलोकेक्टस डीएनाकेंथस
522. मेलोकेक्टस ग्लाउसीसेंस
523. मेलोकेक्टस पाउसीस्पीनस
524. ओबरेगोनिया डेनेग्री
525. पेकीसीरियस मिलिट्रीस
526. पीडियोकेक्टस ब्रेडाई

527. पीडियोकेक्टस नोलटोनाई
528. पीडियोकेक्टस पैराडिनाई
529. पीडियोकेक्टस पीबलसीएनस
530. पीडियोकेक्टस सीलेरी
531. पेलीसाइफोरा एपीपी. 5
532. स्कलेरोकेक्टस ब्रेवीहेमटस एसपीपी. टोबूस्कायी
533. स्कलेरोकेक्टस इरेक्टोसेन्टरस
534. स्कलेरोकेक्टस ग्लोऊकस
535. स्कलेरोकेक्टस मेरीपोसैंसिस
536. स्कलेरोकेक्टस मैसे - वर्डे 10
537. स्कलेरोकेक्टस नाइनसिस
538. स्कलेरोकेक्टस पेपीयराकेन्थस
539. स्कलेरोकेक्टस प्युबिस्पाइनस
540. स्कलेरोकेक्टस राईटीआय
541. स्ट्रोम्बोकेक्टस एसपीपी. 15
542. टरबीनीकेरपस एसपीपी.
543. यूबेलमानिया एसपीपी.

कम्पोसिटे : (एस्टरेसीए) कुथ

544. सोस्सुरिया कोस्टस 20

कपरेसासीए : एलर्स, सायप्रेसिस

545. फिट्जरोया कपरेसोइडस
546. पिलजेरोडेन्ड्रोन यूबीफिरम

साइकाडासीए : साइकाड्स

547. साइकस बेडडोमेइ 25

यूफोरबियासिए : स्पर्जस

548. यूफोरबिया एम्बोवोम्बेन्सिस
549. यूफोरबिया केपसेंटीमेरियन्सिस
550. यूफोरबिया करेमेरसी (जिसमें फोरमा विरीडीफोलिया और वार. रेकोटोजेफीइ सम्मिलित है)
551. यूफोरबिया) सिलिन्ड्रीफोलिया (जिसमें एसएसपी. टयूबरीफेरा सम्मिलित है)
552. यूफोरबिया डेकारी (जिसमें वार्स.अम्पानीहाइएन्सिस, रोबिनसोनी एंड स्पीरोस्टीका सम्मिलित है) 30
553. यूफोरबिया फ्रांकोइसी
554. यूफोरबिया मोराटी (जिसमें वार्स. आंटसीजेन्सीस, बेमाराहेन्सिस एंड मल्टीफ्लोरा सम्मिलित है)
555. यूफोरबिया परवीसीआथोफोरा
556. यूफोरबिया क्वार्टजीटीकोला 35
557. यूफोरबिया ट्यूलीयरेन्सिस

फोक्वेरीऐसीए : ओकोटिल्लोस

558. फोक्विरीया फेसीकुलाटा
559. फोक्विरीया परपूसी

लेगूमिनोस (फेबेसीए) : अफ्रोरमोसिया, क्रीस्टोबल, रोजवुड, संडलवुड

560. डलबर्जिया निगरा 40

लिलिआसीए : एलोज

561. एलो अल्बिडा
562. एलो अल्बिफ्लोरा

563. एलो अलफ्रेडी
564. एलो बाकेरी
565. एलो बेल्लातुला
566. एलो केलकेरोफिला
567. एलो कम्प्रेस्सा (जिसमें वार्स.पौसिटयुबरकलाटा, रुगोसकुआमोसा और सिस्टोफिला सम्मिलित हैं)
568. एलो डेलफिनेन्सिस
569. एलो डेस्कोइन्जसी
570. एलो फ्राजिलिस
571. एलो हावरथिओडस (जिसमें वार. औरानटीआका सम्मिलित है)
572. एलो हेलेनाय
573. एलो लायटा (जिसमें वार मानिएन्सिस सम्मिलित है)
574. एलो पेरेलेलिफोलिया
575. एलो पारवूला
576. एलो पिल्लान्सि
577. एलो पोलीफिल्ला
578. एलो रूही
579. एलो सुजाने
580. एलो वरसिकलर
581. एलो वोसी

नेपेन्थेसीए : पिच्चर-प्लान्ट्स (ओल्ड वर्ल्ड)

582. नेपेन्थेस खासिआना
583. नेपेन्थेस राजाह

ओरकीडेसीए : ओरकीड्स

584. ऐरान्जिस एलिसी
585. डेन्ड्रोबियम क्रूयेन्टम
586. लैलिया जोघिऐना
587. लैलिया लोबाटा
588. पाफियोपेडिलियम एसपीपी.
589. पेरिस्टिरिया इलाटा
590. फ्रागमिपिडियम एसपीपी.
591. रिनानथेरा इम्सूकूटिआना

पालमी (अरेकेसिए) : पाल्मस

592. क्राइसालिडोकार्पस डिसिपियन्स

पिनाकिए : फिर्स एंड पाइन्स

593. ऐबीस ग्वाटेमालेन्सिस

पोडोकारपेसीए : पोडोकार्पस

594. पोडोकार्पस पारलाटोरेई

रुबियासीए : आयुग्यू

595. बाल्मिआ स्टोरमिए

सारासीनिआसीए : पिच्चर-प्लांट्स (न्यू वर्ल्ड)

596. सारासिनिआ.ओरियोफिला
597. सारासिनिआ रुब्रा
598. एसएसपी.आलाबामेन्सिस

599. सारासिनिआ रूब्रा एसएसपी जोनेसी

स्टेन्जरीआसीए : स्टेन्जरीआस

600. स्टेन्जरीआ एरीओपस

जामिआसिए : साइकाड्स

601. सिराटोजामिया एसपीपी.

602. चिगुआ एसपीपी.

603. ऐन्सेफेलेरटोस एसपीपी.

604. माइक्रोसाइकास कालोकोमा

परिशिष्ट 2

प्राणीजात (जीव जंतु)

संघ कोर्डेटा

वर्ग मेमेलिया

(स्तनधारी)

आर्टियोडैक्टीला

बोवीडाय : कैटल, डुडक्करस, गैजल्स, गोट्स, शीप आदि ।

1. एमोट्रैगस लर्विया
2. बाइसन बाइसन एथाबैस्काय
3. बुडोर्कास टैक्सिकलर
4. सिफेलोफस ब्रूकी
5. सिफेलोफस डोर्सेलिस
6. सिफेलोफस ओगिल्वी
7. सिफेलोफस सिल्विकल्टर
8. सिफेलोफस जेब्रा
9. डेमैलिस्कस पाइगारगस पाइगारगस
10. कोबस लेचे
11. ओविस एमोन (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित उपप्रजातियों के सिवाय)
12. ओविस कैनेडेन्सिस
13. ओविस विग्नी (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित उपप्रजातियों के सिवाय)
14. फिलेन्टोम्बा मोन्टीकोला
15. साइगा बोरिएलिस
16. साइगा टेटारिका

केमेलिडाय : गुआनाको, विकूना

17. लामा गुआनिको
18. विकूग्ना विकूग्ना

सर्विडाय डीयर : गुमाल्स मुंटजेक्स पुडुस

19. सर्वस इलेफस बेक्ट्रिएनस
20. पुडु मेफिस्टोफाइल्स

हिप्पोपोटेमिडाय : हिप्पोपोटेमसिस

21. हैक्जाप्रोटोडोन लाइबेरिएंसिस
22. हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस

मोशिडाय : मस्क डीयर

23. मोस्कस एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित के सिवाय)

टेयासुईडाय : पेकारिस

24. टेयासुईडाय एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

कार्निवोरा

कैनिडाय : बुश, डॉग, फॉक्सिस, वोल्ल्स

25. केनिस लूपस (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित के सिवाय)
26. सर्डोसियोन थाऊज
27. क्राइसोसिओन ब्रेकाइरस
28. क्यूओन अल्पाइनस
29. लाइकैलोपेक्स कल्पिअस
30. लाइकैलोपेक्स फल्विपेस
31. लाइकैलोपेक्स ग्रिसिअस
32. लाइकैलोपेक्स जिम्नोसिरस
33. वल्पस कैना
34. वल्पस जेरडा

यूप्लिरिडाय : फोसा, फेलेनूक, मालागासी, सिवेट

35. क्रिप्टोप्रोक्टा फेरोक्स
36. यूप्लेरस गोडौटी
37. फोसा फोसाना

फेलिडाय : कैट्स

38. फेलिडाय एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

मेफिटिडाय : हॉग-नोज्ड स्कॅन्क

39. कोनपेटस हम्बोल्टी

ल्यूट्रिनाय : ऑटरस

40. ल्यूट्रिनाय एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

ओटरिडाय : फर सील्स सीलायन

41. आर्कटोसिफेलस एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

फोसिडाय : सील्स

42. मिरूंगा लियोनाइन

उर्सीडाय : बीयरस, जाएंट पान्डा

43. उर्सीडाय एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

विवेरीडाय बिंटुरोंग सिवेट्स लिन्सेंगस ऑटर -सिबेट पाम सिवेट्स

44. साइनोगैल बेनेटी
45. हेमिगेलस डर्बिएनस
46. प्रिओनोडोन लिनसेंग

सिटासी : डॉल्फिन्स, पॉरपोइसिस व्हेल्स

47. सिटासी एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

टेरोपोडिडाय : फ्रूट, बैट्स, फ्लाइंग फॉक्सिस

48. एसरोडोन एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)
49. टेरोपस एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

सिंगुलेटा

डेसीपोडिडाय : आर्मादिलोस

50.चेटोफ्रेक्टस नेशनी

डिप्रोटोडॉशिया

मैक्रोपोडिडाय : कंगारूस, वेलावीज

51. डेंड्रोलेगस इनस्टस
52. डेड्रोलेगस उर्सीनस

फेलेंजेरीडाय : कस्कसिस

53. फेलेन्जर इंटरकेस्टीलानस
54. फेलेन्जर मिमिकस
55. फेलेन्जर ओरिएंटेलिस
56. स्पिलोकस्कस क्रेमेरी
57. स्पिलोकस्कस मेकुलेटस
58. स्पिलोकस्कस पेपुएन्सिस

मोनोट्रिमेटा

टेकीग्लोसिडाय : एकिडनास, स्पाइनी एन्टीटर्स

59. जैग्लोसस एसपीपी.

पैरिसोडैक्टीला

इक्वीडाय : हॉर्सिस, वाइल्ड ऐसिस, जेब्रास

60. इक्वस हैमिओनस (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

61. इक्वस किआंग

62. इक्वस जेब्रा हर्टमनाय

राईनोसिरोटिडाय : राइनोसिरोसिस

63. सिरेटोथीरियम साइमम साइमम

टेपिरीडाय : टेपिर्स

64. टेपिरस टेरेस्ट्रिस

फोलिडोटा

मेनिडाय : पेंगोलिस

65. मेनिस एसपीपी.

पिलोसा

ब्रेडाय पोडिडाय : थ्री टोड स्लॉथ

66. ब्रैडायपस बैरीगेटस

मिरमेकोफेजिडाय : अमेरिकन एंटईटर्स

67. मिरमैकोफैगा ट्राईडैक्टीला

प्राइमेटस : एपस, मन्कीज

68. प्राइमेट एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

प्रोबोसिडाय

एलीफेन्टीडाय : एलीफेन्टस

69. लोग्जोडोंटा अफ्रीकाना

रोडेंशिया

सिरीडाय : ग्राउण्ड स्केवीरल्स, ट्री स्कवीरल्स

70. रेटूफा एसपीपी.

स्कैंडेंसिया : ट्री शरेवस

71. स्कैंडेशिया एसपीपी.

साइरेनिया

ट्रिकेकिडाय : मेनाटीस

72. ट्रिकेकस सेनेगलेंसिस

वर्ग एव्स
(पक्षी)

असेरीफोर्म्स

एनाटीडाय, डक, गीज, स्वानस आदि

73. एनेस बर्निएरी

74. एनेस फॉर्मोसा

75. ब्रेंटा रूफीकोलिस

76. कोस्कोरोबा कोस्कोरोबा

77. सिग्नास मेलेकोरिफस

78. डेंड्रोसिग्ना आर्बोरिया

79. ऑक्जीयूरा ल्यूकोसिफेला

80. सार्कीडियोर्निस मेलनोटोस

अपोडायफॉर्म्स

ट्रोकिलिडाय :हमिंगबर्ड

81. ट्रॉकिलिडाय एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

किकोनीफॉर्म्स

बेलेनिसिपीटीडाय : शूबिल, व्हेल हेडेड स्टॉर्क

82. बेलेनिसेप्स रेक्स

किकोनिडाय : स्टॉर्क

83. किकोनिया नाइग्रा

फोनिकोप्टीरिडाय : फ्लेमिंगो

84. फोनिकोप्टीरिडाय एसपीपी.

थ्रेस्कियोर्निथीडाय : इबीस, स्पूनबिल

85. यूडोसिमस रूबर

86. गेरोन्टकस काल्वस

87. प्लेटेलिया ल्यूकोरोडिया

कोलम्बीफॉर्म्स

कोलम्बिडाय : डोवस, पीजन्स

88. गालीकोलम्बा लूजोनिका

89. गौरा एसपीपी.

कोरेसीफॉर्म्स

बुसेरोटिडाय होर्नबिल

90. एसेरोस एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

91. एनोरिनस एसपीपी.

92. एन्थ्रेकोसिरस एसपीपी.

93. बेरेनिकोर्निस एसपीपी.

94. ब्यूसेरोज एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

95. पेनेलोपिडायज एसपीपी.

96. रिटीसिरोस एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

कुकुलीफॉर्म्स

म्यूसोफेजिडाय : टुराकोस

97. टोराको एसपीपी.

फाल्कोनीफॉर्म्स ईगल्स, फाल्कनस, हॉक्स, वल्चरस

98. फाल्कोनीफॉर्म्स एसपीपी. (परिशिष्ट 1 और 3 तथा केथेर्टीडाय कुल की प्रजातियों के सिवाय)

गेलीफॉर्म्स

फेसिएनिडाय : ग्रूज, गिनीफाउल, पेर्टिज, फीजेंट, ट्रेगोपेन

99. आरग्यूसिएनस आर्गस

100. गैलस सोनेरेटी

101. इथागिनिस क्रूएन्टस

102. पावो म्यूटिकस

103. पॉलीप्लैक्ट्रॉन बिकैलकेरेटम

104. पॉलीपेक्ट्रॉन जर्मेनी

105. पॉलीपेक्ट्रॉन मैलासेंस

106. पॉलीपेक्ट्रॉन स्केलियरमेचेरी

ग्रुईफॉर्म्स

ग्रुइडाय : क्रेन्स

107. ग्रुइडाय एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

ओटिडिडाय : बस्टर्ड

108. ओटिडिडाय एसपीपी.

कोटिंगीडाय : कोटिंगाज

109. रूपीकोला एसपीपी.

एम्बेरीजिडाय : कार्डिनल, टेंगर

110. गुबरनेट्रिक्स क्रिस्टाटा

111. पेरोएरिआ केपिटाटा
112. पेरोएरिआ कोरोनेटा
113. टंगारा फेस्टुओसा

एस्ट्रिलडायडाय : मेनिकिन्स, वेक्सबिल्स

114. एमनडेबा फोर्मोसा
115. लोंचुरा ओरिजिवोरा
116. पोफिला सिंक्टा सिंक्टा

फ्रिन्जीलिडाय : फिन्चेज

117. कारडुएलिस यारेली

मसकीकेपीडाए : ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकेचर

118. सायोर्निस रूकी
119. गेरूलेक्स केनोरस
120. गेरूलेक्स टेवेनस
121. लियोथ्रिक्स अर्जेंटॉरिस
122. लियोथ्रिक्स ल्यूटिया
123. लियोसिक्ला ओमिएंसिस

पेराडिसीडाय : बर्डस ऑफ पेरेडाइज

124. पेराडाएसीडाय एसपीपी.

पिटीडाय : पिटास

125. पिट्टा गुआजाना
126. पिट्टा निम्फा

पिक्नोनोटिडाय : बुलबुल

127. पिक्नोनोटस जीलेनिकस

स्टरनिडाय : मैना (स्टर्लिंग)

128. ग्रेकुला रेलिजिओसा

रैम्फेस्टिडाए : टूकन्स

129. टेरोग्लोसस एराकेरी
130. टेरोग्लोसस विरिडस
131. रेम्फेस्टॉस सल्फयूरेटस
132. रेम्फेस्टॉस टोको
133. रेम्फेस्टॉस टूकानूस
134. रेम्फेस्टॉस वाइटलिनस

सिटासीफॉर्म्स

135. सिटासीफॉर्म्स एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों और एगापोरनिस रीसीकोलिस, मेलोपसिटेकस अनडुलेटस, निम्फिकस हॉलेन्डिक्स और सिटाकुला क्रमेरी, जो परिशिष्टों में सम्मिलित नहीं हैं, के सिवाय)

रीफार्म्स

रीडाए : रियास

136. टेरोक्नेमिया पिनेटा पिनेटा
137. रिया अमेरिकाना

स्फेनिसिफार्म्स

स्फेनिसिडाए पेंगुइन्स

138. स्फेनिस्कस डेमेरसस

स्ट्रिजिफार्म्स आऊल्स

139. स्ट्रिजिफार्म्स एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

वर्ग रेपेटीलिया
(सरीसृप)

क्रोकोडाइलिया एलीगेटर्स, केमैन, क्रोकोडाइल्स

140. क्रोकोडाइलिया एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

सौरिया

एगेमिडाए : एगेमस मेस्टिगर्स

141. यूरोमैस्टिक्स एसपीपी.

केमेलियोनिडाए : कैमलिओन

142. ब्रेडिपोडियन एसपीपी.
143. ब्रूकेसिया एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)
144. केलुमा एसपीपी.
145. केमेलियो एसपीपी.
146. फर्सीफर एसपीपी.

कोर्डिलिडाए : स्पीइनी टेल्ड लिजार्डस

147. कोरडाइलस एसपीपी.

गेकोनिडी गेकोस

148. सिरटोडैक्टीलस सर्पेंसिनसुला
149. फेलसुमा एसपीपी.
150. यूरोप्लेटस एसपीपी.

हेलोडर्मेटिडाए बीडेड लिजार्ड, गिला मॉन्स्टर

151. हेलोडर्मा एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित उपप्रजातियों के सिवाय)

इगुएनिडाए इगुआनास

152. एम्बलिरहिंकस क्रिस्टेटस
153. कोनोलोफस एसपीपी.
154. टीनोसोरा बकेरी
155. टीनोसोरा ओडीरीना
156. टीनोसोरा मेलेनोस्टर्ना
157. टीनोसोरा पेलिएरिस
158. इगुआना एसपीपी.
159. फ्राइनोसोमा ब्लैनविली
160. फ्राइनोसोमा सेरोएंस
161. फ्राइनोसोमा कोरोनेटम
162. फ्राइनोसोमा विर्गिंसी

लेसरटिडाए : लिजार्डस

163. पोर्डेसिस लिलफोर्डी
164. पोर्डेसिस पिट्यूसेंसिस

सिंसीडाए स्किंक्स

165. कोरूसिया जेब्रेटा

टीडाए : केमेन लिजार्डस, टेगू लिजार्डस

166. क्रोकोडिलूरस एमेजोनिकस
167. ड्रेकीना एसपीपी.
168. ट्पीनेम्बिस एसपीपी.

वेरेनिडाए : मानीटर लिजार्डस

169. वेरेनस एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

जीनोसॉरिडी : चाइनीज क्रोकोडाइल लिजार्डस

170. शिनिसॉरस क्रोकोडिलेरस

सर्पेन्टस : स्नेक्स

बोइडी बॉस

171. बोइडी एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

बोलीररिडाए : गोल द्वीप बॉस

172. बोलीररिडी एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

कोलूब्रिडी प्ररूपी स्नेक्स, जल स्नेक्स व्हिपस्नेक्स

173. क्लेलिया क्लेलिया
174. साइक्लाग्रास गिगस
175. इलेटिस्टोडोन वेस्टरमनी
176. टायस म्यूकोसस

इलेपिडाए कोबरा : कोबरा, कोरल स्नेक्स

177. होपलीसिफेलस बंगारोडीस
178. नाजा एट्रा
179. नाजा काउथिआ
180. नाजा मेंडालेंसिस
181. नाजा नाजा
182. नाजा ओक्सिआना
183. नाजा फिलिपिनेंसिस
184. नाजा सेजिटिफेरा
185. नाजा समरेंसिस
186. नाजा सियामेंसिस
187. नाजा स्पुटेट्रिक्स
188. नाजा सुमात्राना
189. ओफियोफैगस हन्ना

लोक्जोसिमेडाए : मेक्सिकन डवार्फ बोआ

190. लोक्जोसिमेडी एसपीपी

पाइथोनिडी : पायथन

191. पाइथोनिडी एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

ट्रोपिडोफिडी : काष्ठ बोआस

192. ट्रोपिडोफिडी एसपीपी.

वाइपरिडी : वाइपर

193. वाइपेरा वागनेरी

टेस्टुडाइन्स

केरेटोकौलिडाए : पिग-नाज्ड टर्टल

194. केरेटोकाइलस इंस्कल्पटा

डर्मेटिमाइडीडाए : सेंट्रल अमेरिकन रिवर टर्टल

195. डर्मेटिमाइस मावी

एमिडिडाए : बॉक्स टर्टल, फ्रेश वाटर टर्टल

197. ग्लाइप्टेनिस इंस्कल्पटा
198. टेरापीन एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

जीओमाइडीडाए : बॉक्स टर्टल, फ्रेश वाटर टर्टल

199. बटागर एसपीपी (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)
200. कौरा एसपीपी
201. हीओसेमाइस अन्नानडली
202. हीओसेमाइस डेप्रेसा
203. हीओसेमाइस ग्रेण्डीस
204. हीओसेमाइस स्पाइनोसा
205. ल्यूकोसेफलोन यूवोनोई
206. मेलाएमाइस मैक्रोसेफाला
207. मेलाएमाइस सबट्रीजुगा
208. मअरेमाइस अनामिन्सस
209. मअरेमाइस न्यूटीका
210. नोटोकिलाइस प्लेटाइनोटा
211. ओरलीटीआ बोरनीन्सिस

212. पंगशुरा एसपीपी (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)
213. सांइबेनरोकीयला क्रासोकोलीस
214. साइबेनरोकीयला लीयाटेंसिस

प्लेटाइस्टेरनीडाए : बिग-हेडेड टर्टल

215. प्लेटाइस्टनर्न मेगासीफेलम

पोडोस्नेमीडीडाए : एफ्रो अमेरीकन साइड

216. एराइम्नोकिलाइस मेडागासकरेन्सिल
217. प्लेटोसेफालस डुमेरीलीआनस
218. पोडोस्नेमिस एसपीपी

टेस्टुडीनीडाए : टोरटोईजस

219. टेस्टुडीनीडाए एसपीपी (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

ट्रीओनाइकीडाए : साफ्टरौल, टर्टल्स, टेरापिन्स

220. अमाइडा कार्टीलाजीनी
221. चित्रा एसपीपी
222. लीसेमाइस पन्कटाटा
223. लीसेमाइस स्क्यूटांटा
224. पेलोकेलाइस एसपीपी

वर्ग एम्फिबिया
(एम्फिबियंस)

अनुरा

डैन्ड्रोबाटीडाए : पायजन फ्रोग्स

225. अलोबेटस फेमोरेलीस
226. अलोबेटस जपारो
227. क्रिप्टोफाइलोबेटस अजुरेइवेन्ट्रिस
228. डेन्ड्रोबेटस एसपीपी
229. एपीपेडोबेटस एसपीपी
230. फाइलोबेटस एसपीपी

हाइलीडाए : ट्री फ्रोग्स

231. अगालाईक्नीस एसपीपी.
232. मेंटेलीडाए मेन्टेलस
233. मेन्टेला एसपीपी

माइक्रोफाइलीडाए : रेड रेन फ्रोग, टोमेटो फ्रोग

234. स्केफीओफ्राइनी गोटलेबी

रेनीडाए : फ्रोग्स

235. यूफालाइक्टीस हेक्साडेक्टाइल्स
236. होप्लोबाट्राक्स टाइग्रीनस

रीओबाट्रीकीडाए : गेस्ट्रीक-बरुडींग फ्रोग्स

237. रीओबाट्रीक्स एसपीपी

कॉडाटा

अम्बाइस्टोमेटीडाए : एक्सोलोटस

238. अम्बाईस्टोमा डुमेरीली
239. अम्बाईस्टोमा मेक्सीकेनम

वर्ग एलास्मोब्रान्ची
(शार्क्स)

लेमनीफोर्म्स

किटोरहीनीडाए : बास्किंग शार्क

240. किटोरहीनस मेक्सीमस

लमनीडाए : ग्रेट व्हाइट शार्क

241. कारकारोडन कारकारियास

ओरेक्टोलोबीफोर्म्स

राइनकोडोन्टीडाए : व्हेल शार्क

242. राइकोडन टाईपस

राजीफोर्म्स

प्रीस्टाडाए : सॉफीशीस

243. प्रीस्टीस माइक्रोडन

वर्ग एक्टिनाप्टेरिजाई
(मत्स्य)

ऐसीपेंसेरीफॉर्म्स पेडलफिशेस, स्टर्जियंस

244. ऐसीपेंसेरीफॉर्म्स एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

ऐन्गुइल्लीफार्म्स

एन्गुइल्लीडाए : फ्रेशवाटर ईल्स

245. ऐन्गुइल्ला ऐन्गुइल्ला

साइप्रीनिडाए : ब्लाइन्ड कार्प्स, प्लेइसोक

246. कायकोबारबस गीर्टसी

ओस्टिओग्लोसीफार्मस

ओस्टिओग्लोसिडाय : अरापाइमा, बोनीटंग

247. अरापाइमा गीगास

पर्सीफॉर्म्स

लेब्राडाए : ब्रैसस

248. केइलीनस अनडुलेट्स

वर्ग सरकॉप्टरिजाई
(लंगफिशेस)

सेराटोडोन्टीफार्म्स

सेराटोडोन्टीडाए : आस्ट्रेलियन लंगफिश

249. निओसेराटोडस फोरस्ट्री

फाइलम आर्थरोपोडा
वर्ग अर्कनिडा
(स्कोर्पियंस एंड स्पाईडर्स)

अरेनेई

थेराफोसिडाए : रेड-नीड टेरेन्टुलास, टेरेन्टुलास

250. ऐफोनोपीलेमा ऐल्बीसप्स

251. ऐफोनोपीलेमा पैल्लीडम

252. ब्रैकीप्लेमा एसपीपी

स्कोर्पियन्स

स्कोर्पियनीडाए : स्कोर्पियन्स

253. पेन्डीनस डिक्टेटर

254. पेन्डीनस गैम्बिन्सिस

255. पेन्डीनस इम्प्रेटर

वर्ग इन्सेक्टा
(कीट)

कौल्ओपटेरा

स्क्रबायडाए : स्क्रब बीटल्स

256. डायनेस्ट्स सेटेनास

पेपीनीओनीडाए : बर्डविंग बटरफ्लाइस, स्वैलोटेल बटरफ्लाइस

257. एट्रोफेन्यूरा जोफोन

258. एट्रोफेन्यूरा पेन्डियाना

259. भूटेनिटीस एसपीपी.

260. ओरनीथोपटेरा एसपीपी. (परिशिष्ट 1 में सम्मिलित प्रजातियों के सिवाय)

261. पेरनेसियस अपोलो

262. टेइनोपेल्पस एसपीपी
263. ट्रोगोनेपटेरा एसपीपी
264. ट्रोयड्स एसपीपी

फाइलम एनेलीडा
वर्ग हीरूडीनोयडीया
(लीचेस)

एरीन्कोबडेल्लिडा
हीरूडीनीडाए : मेडीसीनल लीचीस
265. हीरूडो मेडीसीनलीस
266. हीरूडो वरबेना

फाइलम मोलस्का
वर्ग बीवाल्वीया
(क्लैम्स एंड मस्सल्स)

माइटीलोयडा
माइटीलीडाए : मैरीन मसल्स
267. लीथोफेगा लीथोफेगा
यूनीयनोयडा
यूनीयनीडाए : फ्रैशवाटर मस्सल्स, पियरली मस्सल्स
268. साइपरजेनिया अबेर्‌टी
269. ऐपिओब्लास्मा टोरूलोसा रेन्गिआना
270. प्लेरोबेमा क्लावा
वेनेरोयडा
ट्रायडेक्निडाए : जायन्ट क्लाम्स
271. ट्रायडेक्निडाय स्पी

वर्ग गेस्ट्रोपोडा
(स्नेल्स और कोन्चेस)

मिसोगेस्ट्रोपोडा
स्ट्रोमबिडाए : क्वीन कोन्च
272. स्ट्रोम्बस गिगास
स्टायलोम मेटाफोरा
कामेनिडाए : ग्रीन ट्री स्नेल
273. पापुस्टाइला पुलकेरिमा

संघ निडेरिया
वर्ग एन्थोजोआ
(कोरल्स और सी एनेमोन्स)

ऐन्टीपेथेरिया ब्लेक कोरल्स
274. एन्टीपेथेरिया एसपीपी
हेलियोपोरेसीआ
हेलियोपोरिडाए : ब्लू कोरल्स
275. हेलियोपोरिडाए एसपीपी (सिर्फ हेलियोपोरा कोयरुएला प्रजातियां समाविष्ट हैं । जीवाश्म कन्वेशन के उपबंधों के अध्यधीन नहीं है ।)
स्केलेरेक्टीनिया : स्टोनी कोरल्स
276. स्कलेरेक्टिनिया एसपीपी जीवाश्म कन्वेशन के उपबंधों के अध्यधीन नहीं है ।
स्टोलोनिफेरा
ट्युबिपोरिडे : ओर्गेन-पाइप कोरल्स
277. ट्यूबिपोरिडे एसपीपी (जीवाश्म कन्वेशन के उपबंधों के अध्यधीन नहीं है ।)

वर्ग हायड्रोजोआ
(सी फर्न, फायर कोरल्स और स्टीजिंग मेड्यूसे)

मिल्लेपोरीना

मिल्लेपोरिडाए : फायर कोरल्स

278. मिल्लेपोरिडाए एसपीपी (जीवाश्म कन्वेशन के उपबंधों के अध्यधीन नहीं है ।)

स्टाइलास्टेरीना

स्टाइलास्टेरीडाए लेस कोरल्स

279. स्टाइलास्टेरीडाए एसपीपी (जीवाश्म कन्वेशन के उपबंधों के अध्यधीन नहीं है ।)

फ्लोरा(पौध)

एगावेसी : एगेव्स

280. एगेव विक्टोरिए रेजिने

281. नोलीना इन्टराटा

अमेरीलिडेसी: स्नोड्राप्स स्टर्नबर्गियास

282. गेलेन्थस एसपीपी

283. स्टर्नबर्गिया एसपीपी

एनाकार्डिएसी : केश्यूस

284. ओपरक्यूलिकार्या हाईफेनाइडस

285. ओपरक्यूलिकार्या पेकाइपस

एपोसाइनेसी : एलिफेन्ट ट्रन्कस हूडियास

286. हूडियास एसपीपी

287. पेकियोडियम एसपीपी (परिशिष्ट 1 में समाविष्ट प्रजाति के सिवाय)

288. राउवोल्फिया सर्पन्टाइन

अरालिएसी : जिनसेंग

289. पेनेक्स जिनसेंग.

290. पेनेक्स क्विनक्यूफोलियस

बरबेरीडेसी : मे-एप्पल

291. पोडोफाइलम हेक्सान्ड्रम

ब्रोमोलिएसी : एयर प्लान्टस, ब्रोमोलियास

292. टिल्लेन्डशिया हरिसि

293. टिल्लेन्डशिया काम्मी

294. टिल्लेन्डशिया कौत्स्की

295. टिल्लेन्डशिया मौर्याना

296. टिल्लेन्डशिया स्प्रेन्गेलियाना

297. टिल्लेन्डशिया सुक्रेइ

298. टिल्लेन्डशिया जेरोग्रेफिका

केक्टेसी : केक्टाइ

299. केक्टेसी एसपीपी (पेरेस्कीया एसपीपी पेरेस्कीयोपसिस एसपीपी और क्वियाबेन्शिया और परिशिष्ट 1 में समाविष्ट प्रजातियों के सिवाय)

कारियोकारासी : अजो

300. कारियोकर कोस्टारिसेन्स

क्रेसुलेसी : डुडलेयास

301. डुडलेया स्टोलोनिफेरा

302. डुडलेया ट्रास्किए

कुकुरबिटेसी : मेलनस, गार्डस, कुकुरबिट्स

303. जायगोसिक्योस प्यूबेसेन्स

304. जायगोसिक्योस ट्रायपार्टिटस

साइथेसी : ट्री फर्न

305. सायथिया एसपीपी

साइकाडेसी : साइकेडस

306. साइकाडेसी एसपीपी (परिशिष्ट 1 में समाविष्ट प्रजातियों के सिवाय)

डिक्सोनिएसी ट्री फर्न

307. सिबोटियम बोरोमेट्ज

308. डिक्सोनिया एसपीपी

डीडीरैसी : अलाउडियास, डीडीरियास

309. डीडीरैसी एसपीपी

डियोस्कोरैसी : एलिफेन्टस फुट, नीस

310. डियोस्कोरिया डेल्टोइडिया

ड्रोसेरासी : विनस फ्लाई

311. डायोनेया मुसिप्यूला

यूफोर्बिएसी : स्पीर्जिस

312. यूफोर्बिया एसपीपी

फोक्वीरिएसी : ओकोटिल्लोस

313. फोक्वीरिया कोलुमनेरिस

जुगलेन्डेसी : गेविलान

314. ओरियामुन्निए टेरोकार्पा

लॉरेसी : लॉरेल्स

315. एनिबा रोसेयोडोंरा

लेग्यूमिनोसे (फेबेसी) : अफ्रोरमोशिया क्रिस्टोबल, रोजवुड, सेन्डलवुड

316. कैसलपीनिया इचीनाटा

317. पेरिकोपसिस इलाटा

318. प्लेटाईमिशियम पलइओस्टाशम

319. टेरोकार्पस संतालिनस

लिलिएसी : एलोस

320. एलो एसपीपी

मेलिएसी : महोगनी, स्पेनिश सिडार

321. स्वीटेनिया ह्यूमिलिस

322. स्वीटेनिया मेकरोफाइला

323. स्वीटेनिया महोगनी

नेपेन्थेसी : पिचर-प्लान्ट (ओल्ड वर्ल्ड)

324. नेपेन्थिस एसपीपी

आर्किडेसी : आर्किड्स

225. आर्किडेसी एसपीपी

ओरोबेनकेसी : ब्रूमरेप

326. सिस्टेन्च डेसेर्टीकोला

पामाए(ऐरिकैसी) : पाल्म्स

327. बोकारियोफिनिक्स मेडागास्केरीनासिस

328. लेमुरोफिनिक्स हेल्युक्सी
329. मरोजेज्या दरियानी
330. नियोडिप्सिस डेकार्यी
331. रावेनी लाउवेली
332. रावेनी राइवलेरिस
333. सत्रनाला डेक्यूसिल्वे
334. वोनियाला गेशरडी

पेसीफ्लोरेसी : पेशन-फ्लावरस

335. एडेनिया ओलाबोनसिस

पोर्चयूलाकेसी : लिविसियस, पोर्चयूलाकेसी, परस्लेन्स

336. एनाकेम्पसेरोस एसपीपी
337. एवोनिया एसपीपी
338. लेविसिया सेरेटा

प्रीमुलेसी : साइक्लामिन्स

339. साइक्लामिन एसपीपी

रानुनकुलेसी : गोल्डन सील्स, येलो एडोनिस, येलो रूट

340. एडोनिस वर्नालिस
341. हायड्रास्टिस केनाडेन्सिस

रोसासी अफरीकन चेरी, स्टिन्कवुड

342. प्रुनुस अफरीकेनो

रूबियासी : अयगवे

343. सारासीनिया एसपीपी (परिशिष्ट-1 में समाविष्ट स्पीशी के सिवाय)

स्क्रोफुलेरिएसी : कुटकी

344. पिक्रोर्हिजा कुर्रोआ (पिक्रोर्हिजा स्क्रोफुलेरिफ्लोरा को छोड़कर)

स्टेन्गेरियासी : स्टेन्गेरियास

345. बोवेनिया एसपीपी

टेक्सासी हिमालयन यिव

346. इस प्रजाति के टेक्सस चाइनेसिस और इन्फ्रास्पेसिफिक टेक्सा
347. इस प्रजाति के टेक्सस कस्पीडेटा और इन्फ्रा स्पेसिफिक टेक्सा
348. इस प्रजाति के टेक्सस फुयाना और इन्फ्रा स्पेसिफिक टेक्सा
349. इस प्रजाति के टेक्सस सुमात्रा और इन्फ्रा स्पेसिफिक टेक्सा
350. टेक्सस वालिचियाना

थाइमेलाएसी(एक्वीलरियासी) : अगरवुड, रामिन

351. एक्वीलेरिया एसपीपी
352. गोनिस्टाइलस एसपीपी
353. गायरीनोप्स एसपीपी

वेलेरियानेसी : हिमालयन स्पाइकनार्ड

354. नार्डोस्टाकिस ग्रेन्डीफ्लोरा

विटासी : ग्रेप्स

355. साइफोस्टेमा एलिफेन्टोपस
356. साइफोस्टेमा मोन्टेगनेसी

वेल्वित्शियासी : वेल्वित्शिया

357. वेल्वित्शिया मीराबिलिस

जामियासी : साइकेड्स

358. जामियासी एसपीपी (परिशिष्ट-1 में समाविष्ट प्रजातियों के सिवाय)

जिंजिबेरेसी : जिंजर लिलि

359. हेडिचियम फिलिपिनेन्सी

जायगोफाइलेसी : लिग्नम वाइटे

360. बुल्नेशिया सारमिनटोइ

361. गुयायकम एसपीपी

परिशिष्ट 3

प्राणीजात (जीव जंतू)

संघ कोर्डेटा

वर्ग स्तनधारी

(स्तनी)

आर्टियोडक्टाइला

बोविडाए : एन्टेलोप्स, केटल, ड्यूकर्स, गेजेल्स, गोट्स, शीप, आदि

1. एंटीलोप सर्विकापरा
2. बुबालस अर्नी (संदर्भित बुबालस बुबालिस जो कि पालतु रूप है, को छोड़कर)
3. गजेला डोरकास
4. टेटरासेरस क्वाडरीकोर्निस

सर्विडाए :डीयर, ग्यूमल, मन्टजेक्स, पुडुस

5. सर्वस इलाफस बारबरस
6. मजामा टेमामा सेरासिना
7. ओडोकोइलियस वरजीनियानस मायेनसिस

कार्निवोरा

केनिडाए : बुश डॉग, फाक्सस, वाल्वस

8. केनिस ओरियस
9. वल्पस बेन्गालेन्सिस
10. वल्पस वल्पस ग्रिफिथि
11. वल्पस वल्पस मोन्टाला
12. वल्पस वल्पस पुसेला

हरपिस्टीडाए : मोन्गूसिस

13. हरपिस्टिस एडवार्डसी
14. हरपिस्टिस फसकस
15. हरपिस्टिस जावानिकस
16. ओरोपंक्टेटस
17. हरपिस्टिस स्मिथी
18. हरपिस्टिस उर्वा
19. हरपिस्टिस विटिकोलिस

हयानिडाए : आर्डवोल्फ

20. प्रोटेलिस क्रिस्टाटा

मस्टेलिनी : ग्रिसन्स, हनी बेजर, मार्टनस, टायरा, वीसल्स

21. इरा बारबारा
22. गेलिक्टिस वाइटाटा
23. मर्टिस फ्लेविगुला
24. मर्टिस फोइना इन्टरमीडिया
25. मार्टिस ग्वास्किन्सी
26. मेलिवोरा केपेन्सिस
27. मुस्टेला अल्टाइका
28. मस्टेला अरमिनी फरघानी

29. मस्टेला काथिया
30. मस्टेला सिबिरिका

ओडोनिबिडाए : वालरस

31. ओडोवेनस रोसमेरस

प्रोकयोनिडाए : कोटिस, किंकाजू, अलिंगोस

32. बसारिसायन गेबी
33. बसारिस्कस सुमिच्रास्ती
34. नेसुया नारिका
35. नेसुया नेसुया सोलिटेरिया
36. पोटोस फ्लेवस

विवेरिडाए : बिन्टुरोंग, सिवेटस, लिन्सेंगस, ओटर सिवेट, पाम सिवेटस

37. आर्क्टिकटिस बिन्टुरोन्ग
38. सिवेटिक्टिस सिवेटा
39. पगुआ लार्वेटा
40. पेराडाक्सरस हरमाफ्रोडीटस
41. पेराडाक्सरस जरडोनी
42. विवेरा सिवेटीना
43. विवेरा जिवेथा
44. विवेरिक्युला इन्डिका

किरोपटेरा

फाइलोस्टोमिडाए : ब्रौड नोस्ड बैट

45. प्लेटीराइनस लाइनिएटस

सिन्गुलाटा

डेसीपोडिडाए : आर्मडिलोस

46. काबासोस सेन्टोलिस
47. काबासोम टेटुऐ

पिलोसा

मेगालोनाइकीडाए : टू-टोड स्लोथ

48. कोलियोपस होफमनी

मरमिकोपेगडाए : अमेरीकन एन्टीएटर्स

49. टामनडुआ मेक्सिकाना

रोडेन्शिया

क्यूनिक्यूलिडाए : पाका

50. क्यूनिक्यूलस पाका

डासीप्रोक्टिडाए : अगोटी

51. डासीप्रोक्टा पन्कटाआ

एरेथिजोन्टीडाए : न्यू वर्ल्डस पोक्यूपाइन

52. स्फीगरस मेक्सीकेनस
53. स्फीगरस स्पाइनोसस

सियुरिडाए : ग्राउन्ड स्क्वीरलस, ट्री स्क्वीरलस

54. मरमोटा कोडाटा
55. मरमोटा हिमालयाना
56. सियुरस डेप्पी

वर्ग एवस

(पक्षी)

अंसेरीफोर्म

एनाटिडाए : डक, गीज, स्वान आदि

57. कैरिना मोस्केटा
58. डेन्ड्रोसिग्ना ओटम्नालिस
59. डेन्ड्रोसिग्ना बाइकलर

कैराड्रीफोर्म

बुर्हीनिडाए : थिक-नी

60. बुर्हीनस बिस्ट्रीएटस

कोलम्बिफोर्मस

कोलम्बिडाए : डव्स, पिजन

61. नेसोनस मेयरी

कुकुलिफोर्मस

केथेर्टिडाए : न्यू वर्ल्ड वल्चर

62. सारकोरेम्फस पापा

गेलीफोर्मस

क्रेसिडाए : केकेलेकस, करासोव, गुआन

63. क्रेक्स अल्बर्टी
64. क्रेक्स डोबन्टोनी
65. क्रेक्स ग्लोबुलोसा
66. क्रेक्स रुबरा
67. ओर्टालिस वेटुला
68. पोक्सी पोक्सी
69. पेनेलोप पुरपुरासनस
70. पेनेलोपिना नाइगरा

फेसियानिडाए : ग्राउस, गिनीफाउल, पार्ट्रीजिस फिसेन्ट ट्रेगोपेनस

71. मेलियाग्रिस ओसिलेटा
72. ट्रेगोपन सटायरा

पासेरीफोर्मस

कोटिंगिडाए : कोटिंगास

73. सेफालोपटेरस ओर्नेटस
74. सेफालोपटेरस पेन्डुलिगर

मुस्सीकापिडी : ओल्ड वर्ल्ड के फ्लाइकेचर्स

75. एक्रोसेफेलस रोडरीकेनस
76. टर्पसीफोन बोरबोनेनसिस

पिसिफोर्मस

केपिटोनिडाए : बारबेट

77. सेमनोर्निस रेमफेस्टीनस

रेमफेस्टिडाए : टूकनस

78. बेलोनियस बेलोनी
79. टेरोग्लोससकास्टानोटिस
80. रेमफेस्टोस डाइकोलोरस

81. सेलेनिडेरा मेक्युलिरोस्ट्रिल

वर्ग रेपटीलिया

(सरीसृप)

सोरिया

गेक्कोनिडाए : गेकोस

82. होपलोडेक्टीलस एसपीपी

83. नोल्टीनस एसपीपी

सर्पन्टिस

कोलूब्रिडी टिपिकल स्नेक्स वाटर स्नेक्स व्हिप स्नेक्स

84. एट्रेटियम सिस्टोसम

85. सरबेरस रिन्कोपस

86. जेनोक्रोफिस पिस्केटर

एलापिडाए : कोबरा, कोरल स्नेक्स

87. माइक्रूरस डायास्टेमा

88. माइक्रूरस निग्रोसिंक्टस

वाइपरिडाए : वाइपर्स

89. क्रोटेलस डूरिसस

90. डाबोइया रसेली

टेस्टूडीनस

केलिड्रिडाए : स्नेपिंग टर्टलस

91. मेक्रोकेलिस टेमिन्की

एमिडीडाए : बाक्स टर्टलस, फ्रेश वाटर टर्टलस

92. ग्रेपटेमिस एसपीपी

जियोएमाइडिडाए : बाक्स टर्टलस फ्रेश वाटर टर्टलस

93. जियोमाइडा स्पेंगलेरी

94. मोरेमिस आइवरसोनी

95. मोरेमिस मेगालोसिफाला

96. मोरेमिस निगरीकेन्स

97. मोरेमिस प्रिकार्डी

98. मोरेमिस रीवेसी

99. मोरेमिस साइनेसिस

100. ओकेडिया ग्लायफिस्टोमा

101. ओकेडिया फिलिपेनी

102. सेकेलिया बियली

103. सेकेलिया सडोसेलाटा

104. सेकेलिया क्वाड्रीयोसेलाटा

ट्रायानाइकीडाए : साफ्टशेल टर्टल्स टेरापिन

105. पेलिया स्टीनडेक्नरी

106. पेलोडिसकस एक्सनेरिया

107. पेलोडिसकस मेक्की

108. पेलोडिसकस पार्वीफोर्मिस

109. रेफेटस स्विनहोई

संघ इकाइनोडर्मेटा

वर्ग होलाथुरोडी

(सी कुकुमबर्स)

एस्पिडोकिरोटिडा

स्टिकोपोडिडाए सी कुकुमबर्स

110. आइसोस्कोपस फस्कस

वर्ग इन्सेक्टा

(कृमि)

कोलियोपटेरा

ल्यूसेनिडाए : केप स्टेग बीटल्स

111. कोलाफोन एसपीपी

लेपिडोपटेरा

निम्फेलिडाए : ब्रश-फुटेड बटर फ्लाइस

112. एग्रियास एमिडोन बोलिविनोसिस

113. मोरफो गोडार्टी लाकोमी

114. प्रेपोना प्रेनेस्टे बकलयाना

संघ निडेरिया

वर्ग एन्थोजोआ

(कोरल्स और सी एनेमोनस)

गोर्गोनेसी

कोरालिडाए

115. कोरालियम इलाटियस

116. कोरालियम जपोनिकम

117. कोरालियम कोनजोइ

118. कोरालियम सिकनडम

पौध (पौधे)

जनेटेसी : जनेटमस

119. जनेटम मोन्टेनम

लेग्यूमिनोसी(फेबेसी) : अफ्रोमॉसिया, क्रिस्टोबल, रोजवुड, सेंडलवुड

120. डलबर्गिया रेटूसा

121. डलबर्गिया स्टेवेन्सोनी

122. डायपटेरिक्स पेनेमेनसिस

मेग्नोलियासी : मेग्नोलिया

123. मेग्नोलिया लिलीफेरा वर ओबवाटा

मेलियासी महोगनीस, स्पेनिश सिडार

124. सिड्रेला फिसिलिस

125. सिड्रेला लिलोई

126. सिड्रेला ओडोराटा

पालमी(अरेकेसी) : पाल्मर्स

127. लोडोइसी माल्दीविका

पापावेरासी : पोपी

128. मेकोनोपसेस रेजिया

पाइनेसी : फर्स और पाइन्स

129. एबीस गुयाटेमेलेनसिस

130. पाइनस कोरेनसिस

पोडोकार्पासी : पोडोकार्पस

131. पोडोकार्पस नेरिफोलियस

ट्रोकोडेन्ड्रासी : (टेट्रोसेन्ट्रासी) टेट्रासेन्ट्रोन

132. टेट्रासेन्ट्रोन सिनेन्स

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों की संरक्षा और संरक्षण का उपबंध है। उक्त अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ उनके आवास प्रबंध तथा उनके व्यापार या वाणिज्य के विनियमन और नियंत्रण का भी उपबंध है।

2. केंद्रीय सरकार ने, वन्य जीवन अपराधों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, एक व्याघ्र कार्य बल का गठन किया था। व्याघ्र कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने की सिफारिश की थी जिससे अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि किए जाने की सिफारिश की थी। कार्य बल की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अधिनियम में तथा देश में वन्य प्राणी समूह और वनस्पति समूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (सी॰आई॰टी॰ई॰एस॰) के प्रवर्तन संबंधी उपबंधों में संशोधन किए जाने के संबंध में कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करने और अन्य आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भारत उक्त अभिसमय का एक पक्षकार है और देश के लिए सी॰आई॰टी॰ई॰एस॰ के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तन करना बाध्यकर है।

3. समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में एक नया अध्याय 5ख, जो सी॰आई॰टी॰ई॰एस॰ के उपबंधों से संगत हैं, अंत:स्थापित किए जाने की सिफारिश की थी। इस अध्याय में के निबंधनों, वाक्यांशों और परिभाषाओं का वही अर्थ होगा जो सी॰आई॰टी॰ई॰एस॰ में दिया गया है।

4. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है—

(क) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को देखते हुए नई परिभाषाएं अंत:स्थापित करना;

(ख) प्राणी फांसों के उपयोग को, कतिपय परिस्थितियों के अधीन के सिवाय, प्रतिषिद्ध करने के लिए उपबंध करना;

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुज्ञापत्र देने का उपबंध करना;

(घ) सी॰आई॰टी॰ई॰एस॰ से संबंधित उपबंध करना, जिससे वन्य जीव में अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखा जा सके;

(ङ) अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना;

(च) अधिनियम की धारा 29 के अधीन कतिपय क्रियाकलापों, जैसे कि पशुधन की चराई या संचलन, स्थानीय समुदायों द्वारा पेय और गृहोपयोगी जल के वास्तविक उपयोग आदि को अप्रतिषेधात्मक मानते हुए उपबंध करना;

(छ) अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के आखेट संबंधी अधिकारों की संरक्षा के लिए उपबंध करना;

(ज) अधिनियम में एक नई अनुसूची 7 अंत:स्थापित करना जिससे सी॰आई॰टी॰ई॰एस॰ के अधीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विनियमन के प्रयोजनों के लिए वन्य प्राणी समूह और वनस्पति समूह को सूचीबद्ध करने संबंधी परिशिष्ट को सम्मिलित किया जा सके;

(झ) अधिनियम में कतिपय पारिणामिक और अन्य संशोधन करना।

5. खंडों पर टिप्पण में विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है।

6. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
जनवरी 31, 2013

जयंती नटराजन

खंडों पर टिप्पण

खंड 2—यह खंड वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

खंड 3—यह खंड अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है, जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति के संबंध में है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा उसको सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए गठित की जाने वाली समितियों, उप समितियों या अध्ययन समूहों के निबंधनों और शर्तों को विहित करने वाले नियम बनाए जा सकेंगे।

खंड 4—यह खंड नई धारा 9क का अंत:स्थापन करने के लिए है जो प्राणी फांसों पर प्रतिषेध के संबंध में है।

इसमें यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति, शैक्षणिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए मुख्य वन्य जीव संरक्षक की लिखित में अनुज्ञा के सिवाय, किसी पशु फांस का विनिर्माण, विक्रय, क्रय, प्रस्तावित विधान नहीं करेगा, उसे नहीं रखेगा, उसका परिवहन या कोई अन्य उपयोग नहीं करेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख को कोई प्राणी फांस है, ऐसे प्रारंभ से सात दिन के भीतर उस आशय की घोषणा करेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक किसी व्यक्ति को ऐसे फांस को शर्तों के अधीन रहते हुए रखने की अनुज्ञा दे सकेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि ऐसे सभी घोषित पशु फांस, जिनकी बाबत मुख्य अनुज्ञा नहीं दी गई है, राज्य सरकार की संपत्ति हो जाएंगी। प्रस्तावित धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, तब तक यह उपधारणा की जाएगी कि पशु फांस को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति ऐसे फांस का विधिविरुद्ध रूप से कब्जा रखे हुए है।

खंड 5—यह खंड नई धारा 12क का अंत:स्थापन करने के लिए है जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के संबंध में है।

इसमें यह उपबंधित है कि अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य वन्य जीव संरक्षक किसी व्यक्ति को शर्तों के अधीन रहते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदत्त करेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार कतिपय मामलों की बाबत नियम विहित करे।

खंड 6—यह खंड अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है जो अभयारण्य की घोषणा से संबंधित है।

इसमें यह उपबंधित है कि राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके, किसी अभयारण्य के रूप में गठित किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगी।

खंड 7—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है, जो कलक्टर द्वारा जांच के संबंध में है।

इसमें यह उपबंधित है कि कलक्टर राज्य सरकार और ग्राम सभा के अभिलेखों से और ऐसे अधिकारों से परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से दावों और अधिकारों को सुनिश्चित करेगा।

खंड 8—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है जो अनुज्ञापत्र दिए जाने के संबंध में है।

इसमें किसी वास-स्थान में परिवर्तन किए बिना या वन्य जीव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृत्तचित्र बनाने के लिए अनुज्ञापत्र देने का प्रस्ताव है।

खंड 9—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 29 के विद्यमान स्पष्टीकरण के प्रतिस्थापन के लिए है जो अनुज्ञापत्र के बिना अभयारण्य में नाशकरण आदि पर प्रतिषेध के संबंध में है।

इसमें स्पष्टीकरण की परिधि को बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए धारा 11, धारा 12 और धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (ख) के निर्देश को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

खंड 10—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जो क्षतिकर पदार्थ के प्रयोग पर रोक के संबंध में है।

अभयारण्य के भीतर क्षतिकर उपस्करों को ले जाने पर रोक लगाने की दृष्टि से इसमें अन्य पदार्थों या उपस्करों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

खंड 11—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है जो अभयारण्यों के नियंत्रण के संबंध में है।

इसमें यह प्रस्ताव है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई ऐसी प्रबंध योजनाओं के अनुसार सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन और अनुरक्षण करेगा और इसमें उसके खंड (क) की परिधि में सरकारी लाज भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

खंड 12—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा के संबंध में है।

इसमें यह उपबंध करने के लिए कि राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा के परामर्श करके राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित किए जाने के अपने आशय की घोषणा करेगी, एक नया परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसमें एक नई उपधारा (2क) यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में वनों के सुसंगत ब्यौरे सहित वन कक्ष संख्यांक और राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित राजस्व अभिलेख सम्मिलित किए जाएंगे।

खंड 13—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 36घ का संशोधन करने के लिए है जो सामुदायिक आरक्षित प्रबंध समिति के संबंध में है।

इसमें ग्राम पंचायातों आदि द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रतिनिधियों को पांच से घटाकर तीन करने का प्रस्ताव है।

इसमें नई उपधारा (2क) को अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है जिसमें, यह उपबंधित है कि जहां 36ग की उपधारा (1) के अधीन प्राइवेट भूमि पर कोई सामुदायिक आरक्षिति घोषित की जाती है वहां सामुदायिक आरक्षिति प्रबंध समिति, भूमि के स्वामी सहित राज्य वनों या वन्य जीव विभाग के जिसकी अधिकारिता में सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, से मिलकर बनेगी।

खंड 14—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करने के लिए है जो क्षेत्रों को अभयारण्य और राष्ट्रीय उपवन घोषित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति के संबंध में है। पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है कि राज्य सरकार ऐसे किसी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, संबंधित ग्राम सभा से परामर्श करके राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित करेगी।

खंड 15—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38ग का संशोधन करने के लिए है जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कृत्यों के संबंध में है।

इसमें एक नया खंड (कक) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो प्राधिकरण को चिड़ियाघरों के संपूर्ण कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने और संबद्ध मुख्य वन्य जीव संरक्षक को चिड़ियाघर के पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत करने के लिए समर्थ बनाता है।

खंड 16—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38ञ का संशोधन करने के लिए है जो किसी चिड़ियाघर में तंग करने आदि का प्रतिषेध करने के सबंध में है।

इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इस बाबत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए शक्ति प्रदत्त करने का प्रस्ताव है।

खंड 17—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38ठ का संशोधन करने के लिए है, जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गठन के संबंध में है।

इसमें उपधारा (2) के खंड (ठ) और खंड (ड) को उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सम्मिलित किए जाने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

खंड 18—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38ण का संशोधन करने के लिए है, जो व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों के संबंध में है।

इसमें व्याघ्र संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को अनुदान देने के लिए प्राधिकरण को समर्थ बनाने का प्रस्ताव है।

खंड 19—यह खंड एक नई धारा 38ञक अंत:स्थापित करने के लिए है, जिसमें यह उपबंधित है कि अध्याय 4ख में अंतर्विष्ट उपबंध, मूल अधिनियम के अधीन व्याघ्र आरक्षिति में सम्मिलित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उपवनों (चाहे वे उस रूप में सम्मिलित और घोषित किए गए हों या इस प्रकार घोषित किए जाने की प्रक्रिया में हो) से संबंधित उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

खंड 20—यह खंड मूल अधिनियम के अध्याय 4ग के शीर्षक का वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नामावली के संबंध में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

खंड 21—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38म को जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के संबंध में है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के नाम में परिवर्तन करने के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए है।

खंड 22—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 39 का संशोधन करने के लिए है, जो वन्य प्राणियों आदि का सरकार की संपत्ति होने के संबंध में है।

इसमें पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा (1) का परिधि में विनिर्दिष्ट उन पादपों को सम्मिलित किया जा सके जो धारा 17क के अधीन चुने जाते हैं, उखाड़े जाते हैं, रखे जाते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है या नष्ट किया जाता है, उनके संबंध में कार्रवाई की जाती है या उनका विक्रय किया जाता है।

इसमें एक नई उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई सरकारी संपत्ति जीवित प्राणि और उसे उसके प्राकृतिक स्थान में वास स्थान में छोड़ा नहीं जा सकता वहां राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसे किसी मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या बचाव केंद्र द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उसकी देखभाल की जाए।

खंड 23—यह खंड वन्य प्राणिसमूह और वनस्पतिसमूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन करने के लिए मूल अधिनियम में एक नया अध्याय 5ख अंत:स्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 49घ प्रस्तावित नए अध्याय के प्रयोजनों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ शब्दों और पदों को परिभाषित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 49ङ; प्रस्तावित अध्याय के उपबंध अनुसूची 7 में सूचीबद्ध प्राणि और पादप प्रजातियों तथा विदेशी प्रजातियों को लागू होने के बारे में उपबंधित है।

प्रस्तावित धारा 49च प्रबंध प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों के लिए उपबंध करती है।

इसमें यह और उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, अपर वन महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रस्तावित विधान के अधीन कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग करने के लिए, प्रबंध प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी।

इसमें यह भी उपबंधित है कि प्रबंध प्राधिकारी किसी अनुसूचित नमूने के आयात, निर्यात और पुन:निर्यात को विनियमित करने संबंधी अनुज्ञा पत्र और प्रमाणपत्र जारी करने, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और प्रस्तावित अध्याय के अधीन यथा अपेक्षित अन्य कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगी और वैज्ञानिक प्राधिकारी की सलाह पर प्राणियों और पादपों की ऐसी विदेशी प्रजातियों को अधिसूचित करेगा, जो अभिसमय के अंतर्गत नहीं आता है और वार्षिक और द्विवार्षिक रिपोर्टें तैयार करेगा और उन्हें केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, प्रबंध प्राधिकारी को उसके कृत्यों का निर्वहन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी।

यह प्रबंध प्राधिकारी को [उपधारा (3) के अधीन विदेशी प्रजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति के सिवाय] कृत्य या शक्तियां ऐसे अधिकारियों को, जो सहायक वन महानिरीक्षक की पंक्ति से नीच के न हों, प्रत्यायोजित करने के लिए भी समर्थ बनाता है।

प्रस्तावित नई धारा 49छ में प्रबंध प्राधिकारी की शक्तियों का उपबंध है।

इसमें यह उपबंधित है कि प्रबंध प्राधिकारी कृत्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करते समय उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय मामलों को सुनिश्चित करेगा।

प्रस्तावित नई धारा 49ज वैज्ञानिक प्राधिकारियों का उपबंध करने के लिए है। इसमें यह उपबंधित है कि केंद्रीय सरकार, ऐसे किसी एक या अधिक संस्थानों को, जो उसके द्वारा स्थापित किए गए हैं और वन्य जीव के अनुसंधान में लगे हुए हैं, प्रस्तावित अध्याय के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी।

इसमें यह और उपबंधित है कि अभिहित वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे विषयों में सलाह देगा, जो प्रबंध प्राधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं।

इसमें यह भी उपबंधित है कि वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकारी को सलाह देते समय, उसमें विनिर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा, और वैज्ञानिक प्राधिकारी अनुसूची 7 के परिशिष्ट 2 में सम्मिलित प्रजातियों के नमूनों के लिए प्रबंध प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्रों को मानीटर करेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि वैज्ञानिक प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विदेशी प्रजाति के ऐसे प्राणियों, पादपों की पहचान करे जो अनुसूची 7 के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनकी सूचना प्रबंध प्राधिकारी को दे और निम्नलिखित के लिए उनके विनियमन की अपेक्षा करे: (i) भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों के देशी जीन पूल का संरक्षण करना; (ii) भारत के वन्य जीव या पारिस्थितिकी प्रणाली के खतरे को दूर करना क्योंकि ऐसी प्रजातियां स्वभाव से आक्रामक होती हैं; (iii) ऐसी प्रजातियों का संरक्षण करना क्योंकि वैज्ञानिक प्राधिकरण की राय में वे उनके उस प्राकृतिक आवास में, जिसमें वे प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होती हैं, क्रांतिक रूप से संकटापन्न होती हैं।

प्रस्तावित नई धारा 49झ में यह उपबंधित है कि प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी, अपने कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के प्रयोग करते समय ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अधीन होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, लिखित रूप में दिए जाएं।

प्रस्तावित नई धारा 49ञ में प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी, राज्य मुख्य वन्य जीव वार्डनों और वन्य जीव के व्यापार से संबंधित अन्य प्रवर्तन प्राधिकारियों या अभिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक समन्वय समिति का गठन किए जाने का उपबंध है।

प्रस्तावित नई धारा 49ट में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सम्मिलित अनुसूचीबद्ध नमूनों का कोई अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं करेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अनुसार ही किन्हीं अनुसूचित नमूनों का कोई व्यापार करेगा, अन्यथा नहीं।

इसमें यह भी उपबंधित है कि किन्हीं अनुसूचित नमूनों का व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुसूचित नमूनों और संव्यवहार के ब्यौरों की रिपोर्ट देगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि अनुसूचित नमूनों का व्यापार करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को या किसी सीमाशुल्क अधिकारी को उसके लिए विनिर्दिष्ट निकासी और प्रवेश पत्तनों पर ही अनापत्ति के लिए उसे प्रस्तुत करेगा।

प्रस्तावित नई धारा 49ठ में यह उपबंधित है कि किसी विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे नमूने या नूमूनों के ब्यौरों की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए देगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि कोई विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूना प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व ऐसे व्यक्ति के कब्जे में था, जो उसका स्वामी हो, या अभिसमय के अनुरूप अभिप्राप्त किया गया था, ऐसे अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजाति के ब्यौरों को रजिस्टर करेगा और स्वामी को ऐसे नमूने को प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात करते हुए विहित रीति में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजातियों का कब्जा, अंतरित करता है, ऐसे अंतरण के ब्यौरों की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी रीति में देगा जो विहित की जाए और प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अनुसूचित नमूनों या विदेशी प्रजातियों के सभी अंतरणों को रजिस्टर करेगा और अंतरिती को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी रीति में जारी करेगा, जो विहित की जाए।

इसमें यह भी उपबंधित है कि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई जीवित अनुसूचित नमूना या विदेशी प्रजाति है जिस पर कोई ऐसा अंकन है, ऐसी संतति के जन्म की रिपोर्ट प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर तथा ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए।

इसमें यह भी उपबंधित है कि प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी अनुसूचित नमूने या विदेशी प्रजाति से जन्मी किसी संतति को रजिस्टर करेगा और स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी रीति में जारी करेगा, जो विहित की जाए।

इसमें यह भी उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति इस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप ही किसी अनुसूचित नमूना या विदेशी प्रजाति को कब्जे में रखेगा, अंतरित करेगा या प्रजनित करेगा, अन्यथा नहीं; और विदेशी प्रजातियों या अनुसूचित नमूनों का स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए कि इससे देश में पाए जाने वाले वन्य प्राणी के देशी वंश समूह किसी रीति में संदूषित नहीं होता है, सभी आवश्यक पूर्वावधानियां, बरतेगा।

प्रस्तावित नई धारा 49ड अनुसूची 7 के नमूनों के प्रजनन या कृत्रिम रूप से अभिवृद्धि करने में लगे व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करती है। इसमें यह उपबंधित है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो

अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी अनुसूचित नमूने का बंदी रूप में प्रजनन या कृत्रिम रूप से उसकी अभिवृद्धि करने में लगा हुआ है, प्रस्तावित विधान के प्रारंभ से नब्बे दिन की अवधि के भीतर वन संरक्षक (वन्य जीव) को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

इसमें यह और उपबंध है कि उपधारा (1) के अधीन वन संरक्षक (वन्य जीव) को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप, ऐसे आवेदन प्ररूप में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, वह रीति, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाएगा, उस पर संदेय फीस, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने या रद्द करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

प्रस्तावित नई धारा 49ढ में रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने का उपबंध है।

इसमें यह और उपबंधित है कि यदि वन संरक्षक (वन्य जीव) का यह समाधान नहीं होता है कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का सम्यक् रूप से पालन किया गया है या यदि कोई मिथ्या विशिष्टि प्रस्तुत की जाती है तो वह यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा और दो वर्ष के पश्चात्, उसका नवीकरण ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किया जा सकेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि वन संरक्षक (वन्य जीव) द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार किए जाने या उसे रद्द किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक से अपील कर सकेगा।

प्रस्तावित नई धारा 49ण किसी पहचान चिह्न को मिटाने के प्रतिषेध का उपबंध करती है। इसमें यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने या उसके पैकेज पर लगाए गए पहचान चिह्न को न तो परिवर्तित करेगा, न विरूपित करेगा और न ही मिटाएगा अथवा हटाएगा।

प्रस्तावित नई धारा 49त में विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने का सरकारी संपत्ति होने के बारे में उपबंधित है।

इसमें यह और उपबंधित है कि धारा 39 के उपबंध, जहां तक हो सके विदेशी प्रजाति या अनुसूचित नमूने के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा का उपधारा (1) में निर्दिष्ट वन्य प्राणियों और प्राणी वस्तुओं के संबंध में लागू होते हैं।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट नमूना जीवित प्राणी है, वहां राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसे उसके प्राकृतिक आवास के लिए निर्मुक्त नहीं किए जाने की दशा में मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या बचाव केन्द्र में रखा जाए और उसकी देखभाल की जाए।

खंड 24—इस खंड का मूल अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रवेश तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति के संबंध में है। यह प्रबंध प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी सीमाशुल्क अधिकारी, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या तटरक्षक के किसी अधिकारी, जो सहायक कमांडेंट की पंक्ति से नीचे का न हो, को प्रवेश करने, तलाशी लेने; गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करने के लिए है।

यह नई उपधारा (10) अंत:स्थापित करने के लिए है जिसमें यह उपबंधित है कि जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की किसी जांच या विचारण के दौरान न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि इस बात का प्रथमदृष्टया मामला है कि उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अभिगृहीत कोई संपत्ति, जिसके अंतर्गत यान या जलयान भी हैं, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने में किसी भी रूप में अंतर्वलित थी, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसके अधिकारवान् स्वामी को वह संपत्ति वापस किए जाने का आदेश तब तक नही करेगा जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उस अपराध का विचारण समाप्त नहीं हो जाता है।

खंड 25—यह खंड नई धारा 50क और धारा 50ख के अंत:स्थापन के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 50क परिदान लेने की शक्ति के लिए है। इसमें यह उपबंधित है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी किसी पारेषण के परिदान का नियंत्रण—(क) भारत में किसी गंतव्य स्थान में; (ख) विदेश में, ऐसे विदेश के सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से जिसको परेषण भेजा जाता है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने हाथ में ले सकेगा।

प्रस्तावित नई धारा 50ख अभिगृहीत या परिदत्त की गई वस्तुओं का भार पुलिस द्वारा लेने के बारे में उपबंधित है। इसमें यह उपबंधित है कि किसी थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, जब कभी धारा 50 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा लिखित में अनुरोध किया जाए, मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत सभी वस्तुओं का भार लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि भारसाधक अधिकारी किसी अधिकारी को या जिसे प्रतिनियुक्त किया जाए, ऐसी वस्तुएं थाने में ले जाने के लिए साथ जाने की या ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने या उनके और उनसे नमूने लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार लिए गए सभी नमूने थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा के साथ सीलबंद किए जाएंगे।

इसमें यह भी उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुलिस अधिकारी को अग्रेषित की गई वस्तु के संबंध में कार्यवाही करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

खंड 26—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 51 और धारा 51क के प्रतिस्थापन के लिए है, जो शास्तियों और जमानत करते समय कतिपय शर्तों के लागू होने के संबंध में है। इसमें यह उपबंधित है कि ऐसा कोई व्यक्ति, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करता है, अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्ध किए जाने पर उपधारा (2) से उपधारा (7) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में दंडनीय होगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि जहां अपराध अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से अन्यून की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किंतु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी पांच लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किंतु पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां अपराध अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी के व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु या ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के विक्रय या क्रय या अंतरण या विक्रय या व्यापार की प्रस्थापना से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और ऐसे जुर्माने से भी, जो पंद्रह लाख रुपए से अन्यून का नहीं हो, दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी तीस लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां अपराध अनुसूची 2 के भाग 1, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के विक्रय या क्रय या अंतरण या विक्रय या व्यापार की प्रस्थापना से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी तीन लाख रुपए तक का, या दोनों, हो सकेंगे।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां अपराध किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने या अभयारण्य या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से अन्यून नहीं होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किंतु पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी तीस लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां अपराध किसी आखेट करने या किसी व्याघ्र आरक्षिती की सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित है वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से अन्यून नहीं होगी और ऐसे जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा किंतु तीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि सात वर्ष से अन्यून की नहीं होगी और जुर्माना भी पचास लाख रुपए से अन्यून का नहीं होगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां अपराध धारा 38ञ के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना भी दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों हो सकेंगे।

प्रस्तावित नई धारा 51क में अन्य अपराधों के बारे में उपबंधित है। इसमें यह उपबंधित है कि जहां कोई अपराध इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के किसी अन्य निबंधन का उल्लंघन करने या इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का भंग करने से संबंधित है, वहां ऐसा अपराध ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्तीं अपराध की दशा में कारावास की अवधि तीन वर्ष से अन्यून की नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, पचास हजार रुपए से अन्यून का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

इसमें यह और उपबंधित है कि जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के विरुद्ध किसी उपधारा के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि कोई बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयातित हाथी दांत या ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी, जिसकी बाबत अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा और अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसा रद्दकरण या समपहरण किसी ऐसे दंड के अतिरक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए अधिनिर्णीत किया जाए।

इसमें यह भी उपबंधित है कि जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वहां न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी अनुज्ञप्ति यदि कोई हो, आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन उस व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए अनुदत्त की गई है, जिससे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है उसे रद्द किया जाएगा और यह कि ऐसा व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए आयुद्ध अधिनियम, 1959 के अधीन अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा।

इसमें यह भी उपबंधित है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध की बाबत दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी तब तक ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।

प्रस्तावित नई धारा 51ख में जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तों के लागू होने का उपबंध है। इसमें यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय अपराध होगा और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो धारा 51 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त तब तक जमानत पर या उसके स्वयं के बंधपत्र पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने संबंधी आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो।

खंड 27—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है, जो अपराध के संज्ञान के संबंध में है।

इसमें एक नया खंड (कघ) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि इसमें अधिनियम के अधीन किसी अपराध की शिकायत करने के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त धारा की परिधि के भीतर प्रबंध प्राधिकारी या कोई अधिकारी, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का अधिकारी सम्मिलित किया जा सके।

इसमें एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है कि कोई न्यायालय भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का गठन करने संबंधी तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने पर अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

खंड 28—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 61 का संशोधन करने के लिए है, जो अनुसूची की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में है।

इसमें उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अनुसूची 7 को उक्त उपधारा की परिधि से अलग किया जा सके।

इसमें केन्द्रीय सरकार को संबद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से, प्रत्येक राज्य की क्षेत्र या स्थल संबंधी विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के उत्तर में किन्ही अनुसूचियों की प्रविष्टियों को जोड़ने या उनका लोप करने या उन्हें संशोधित करने, शक्ति प्रदत्त करने के लिए एक नई धारा अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है।

इसमें यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार, प्रबंध प्राधिकारी तथा वैज्ञानिक प्राधिकरण के परामर्श से, अनुसूची-7 को संशोधित, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगी।

इसमें यह भी प्रस्ताव है कि इस अध्याय और अनुसूची 7 में अंतर्विष्ट कोई बात अधिनियम और अनुसूची 1 से अनुसूची 6 (दोनों सम्मिलित हैं) के अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात को प्रभावित नहीं करेगी।

इसमें यह भी प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

खंड 29—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति के संबंध में है।

इसमें प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे विषयों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जिनकी बाबत केन्द्रीय सरकार नियम बना सकेगी।

खंड 30—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 65 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में है।

इसमें यह उपबंधित है कि इस अधिनियम की कोई बात अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित, अंडमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में की अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप की किसी अनुसूचित जनजातियों के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

खंड 31—यह खंड वन्य प्राणिसमूह और वनस्पति समूह की संकटापन्न प्रजातियों में के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय के परिशिष्ट में यथासूचीबद्ध प्रजातियों को सम्मिलित करने के लिए नई अनुसूची 7 अंत:स्थापित करने के लिए है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 23 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक नया अध्याय 5ख अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे वन्य प्राणि समूह और वनस्पति समूह की संकटापन्न प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय के उपबंध करने के लिए उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित नई धारा 49च में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को, जो अपर वन महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रबंध प्राधिकारी के रूप में अभिहित कर सकेगी। उसकी उपधारा (5) में यह उपबंधित है कि केन्द्रीय सरकार, प्रस्तावित नए अध्याय के अधीन प्रबंध प्राधिकरण को, उसके कृत्यों का निर्वहन या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता प्रदान करने के लिए, उतने अधिकारी और कर्मचारी, जितने आवश्यक हों, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे वेतन और भत्ते भी हैं, जो विहित किए जाएं, नियुक्त कर सकेगी। नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, ''विशेष कार्य संबंधी वन्य जीव प्रभाग परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण'' संबंधी योजना स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार के मंजूर बजट से पूरे किए जाएंगे।

2. विधेयक में, यदि अधिनियमित होता है और प्रवर्त्तन में लाया जाता है, भारत की संचित निधि में से कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का व्यय अंतर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 30, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 का संशोधन करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है। ऐसे विषय जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, अन्य बातों के साथ-साथ—(क) वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित नियम, मानक या प्रक्रिया और कोई अन्य विषय; (ख) प्राणी फांस से संबंधित कोई विषय; (ग) धारा 5ख की उपधारा (3) के अधीन समिति, उप समितियों या अध्ययन समूहों के निबंधन और शर्तें; (घ) धारा 8क के अधीन समितियों के निबंधन और शर्तें; (ङ) धारा 49च की उपधारा (5) के अधीन प्रबंध प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत वेतन और भत्ते भी हैं; (च) धारा 49ञ की उपधारा (2) के अधीन समन्वय समिति की बैठकों में कार्य संचालन, जिसके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, संबंधी प्रक्रिया-नियम; (छ) धारा 49ट की उपधारा (2) के अधीन अनुसूचित नमूनों का कब्जा रखने या उसमें व्यापार करने के लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने की रीति और धारा 49ट की उपधारा (3) के अधीन प्रबंध प्राधिकारी को ऐसे नमूनों की रिपोर्ट देने की रीति; (ज) अनुसूची 7 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध नमूनों के लिए बंदी स्थिति में प्रजनन या कृत्रिम संवर्धन को विनियमित करने के लिए नियम; (झ) धारा 49ठ में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय; (ञ) अनुसूचित नमूनों या विदेशी प्रजातियों से संबंधित कोई अन्य विषय; (ट) ऐसे विषयों के संबंध में है, जो विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

2. अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

3. वे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 53) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों—

* * * * *

(15) ''आवास'' के अन्तर्गत ऐसी भूमि, जल और वनस्पति है जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक गृह है;

(16) व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित ''आखेटन'' के अंतर्गत है—

* * * * *

(ख) किसी वन्य प्राणी या बन्दी प्राणी को पकड़ना, शिकार करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फांसना, हांका लगाना या चारा डालकर फंसाना तथा ऐसा करने का प्रत्येक प्रयत्न;

* * * * *

(24) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत फर्म है;

* * * * *

(31) ''ट्राफी'' से पीड़कजन्तु से भिन्न कोई पूरा बन्दी प्राणी या वन्य प्राणी या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिसे किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वे कृत्रिम हों या प्राकृतिक, रखा या परिरक्षित किया गया है, और इसके अंतर्गत है:—

* * * * *

(ख) हिरण का सींग, गेंडे का सींग, बाल, पंख, नाखून, दांत, कस्तूरी, अंडे, घोंसले;

* * * * *

(35) ''आयुध'' के अन्तर्गत गोला बारूद, धनुष और बाण, विस्फोटक, अग्न्यायुध, कांटे, चाकू, जाल, विष, फन्दे और फांसे तथा कोई ऐसा उपकरण या साधित्र है जिससे किसी प्राणी को संवेदनाहृत किया जा सकता है, धोखे से पकड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, या मारा जा सकता है;

(36) ''वन्य प्राणी'' से कोई ऐसा प्राणी अभिप्रेत है जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में वन्य रूप में पाए जाते हैं और इसके अन्तर्गत अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 या अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट कोई प्राणी है, चाहे वह कहीं भी पाया जाता है;

* * * * *

(39) ''चिड़ियाघर'' से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या चल, जहां बंदी प्राणी सर्वसाधारण के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं और इसके अन्तर्गत सर्कस और बचाव सेना है किन्तु अनुज्ञप्त व्यौहारी का कोई स्थापन नहीं है।

* * * * *

5ख. (1) * * * * * राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति।

(3) राष्ट्रीय बोर्ड उसको सौंपे गए कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए समय-समय पर समितियां, उप-समितियां या अध्ययन समूह, जो भी आवश्यक हों, गठित कर सकेगा।

* * * * *

22. कलक्टर दावेदार पर विहित सूचना की तामील करने के पश्चात्— कलक्टर द्वारा जांच।

(क) धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन उसके समक्ष किए गए दावे के बारे में, और

(ख) उस अधिकार के अस्तित्व के बारे में, जो धारा 19 में वर्णित है और धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन दावाकृत नहीं है,

शीघ्रता के साथ वहां तक जांच करेगा, जहां तक कि वह राज्य सरकार के अभिलेखों और उससे परिचित किसी व्यक्ति के साक्ष्य से अभिनिश्चित किया जा सकता है।

* * * * *

28. (1) मुख्य वन्य जीव संरक्षक आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी के लिए अभयारण्य में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञापत्र दे सकेगा, अर्थात्:— अनुज्ञापत्र का दिया जाना।

* * * * *

(ख) फोटोचित्रण;

* * * * *

29. कोई भी व्यक्ति मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा दी गई किसी अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार के सिवाय, किसी कार्य द्वारा वह चाहे जो भी हो, किसी अभयारण्य में वनोत्पाद सहित किसी वन्य जीवन को नष्ट नहीं करेगा, उसका विदोहन नहीं करेगा या उसको नहीं हटाएगा अथवा अभयारण्य में या उसके बाहर जल के प्रवाह का अपवर्तन नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं अथवा उसमें वृद्धि नहीं करेगा और कोई ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि राज्य सरकार, बोर्ड के परामर्श से, यह समाधान हो जाने पर कि अभयारण्य से किसी वन्य जीव को इस प्रकार हटाया जाना या अभयारण्य में या उसके बाहर जल के प्रवाह में ऐसा परिवर्तन वहां के वन्य जीवन के सुधार और अधिक अच्छे परिवर्तन के लिए आवश्यक है, ऐसे अनुज्ञापत्र का जारी किया जाना प्राधिकृत नहीं करती है: अनुज्ञापत्र के बिना अभयारण्य में नाशकरण आदि पर प्रतिषेध।

परन्तु जहां किसी अभयारण्य से वनोत्पाद को हटाया जाता है, वहां उसका उपयोग, अभयारण्य में अथवा उसके आस-पास रहने वाले लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकेगा और किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 33 के खंड (घ)के अधीन अनुज्ञात पशुधन की चराई या संचलन इस धारा के अधीन प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा।

* * * * *

32. कोई भी व्यक्ति किसी अभयारण्य में रसायनों, विस्फोटकों या किन्हीं अन्य पदार्थों का, जो ऐसे अभयारण्य के किसी वन्य जीव को क्षति पहुंचा सके या खतरे में डाल सके, प्रयोग नहीं करेगा। क्षतिकर पदार्थ के प्रयोग पर रोक।

33. मुख्य वन्य जीव संरक्षक ऐसा प्राधिकारी होगा जो सभी अभयारण्यों का नियंत्रण करेगा, उनका प्रबन्ध करेगा और उन्हें बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए वह किसी अभयारण्य की सीमाओं के भीतर,— अभयारण्यों का नियंत्रण।

(क) ऐसी सड़कें, पुल, भवन, बाड़ या रोक फाटक सन्निर्मित कर सकेगा, तथा ऐसे अन्य संकर्मों को जो वह ऐसे अभयारण्य के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे विनिर्मित कर सकेगा:

परन्तु किसी अभयारण्य के भीतर वाणिज्यिक पर्यटक लॉज, होटलों, चिड़ियाघरों और सफाई उपवनों का सन्निर्माण राष्ट्रीय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं किया जाएगा।

* * * * *

राष्ट्रीय उपवन

35. (1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोई क्षेत्र जो किसी अभयारण्य के भीतर है या नहीं, अपने पारिस्थितिक, प्राणी-जात, वनस्पति-जात, भू-आकृति विज्ञान-जात या प्राणी विज्ञान-जात राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा।

महत्व के कारण उसमें वन्य जीवों के और उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन या विकास के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित किया जाना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उपवन के रूप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी:

''परन्तु जहां राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के किसी भाग को ऐसे राष्ट्रीय उपवन में सम्मिलित करना प्रस्थापित है वहां धारा 26क के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय उपवन की घोषणा के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अभयारण्य की घोषणा के संबंध में लागू होते हैं।'';

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उस क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जाएंगी जिसे राष्ट्रीय उपवन के रूप में घोषित करने का आशय है।

* * * * *

(8) धारा 27 और धारा 28, धारा 30 से धारा 32 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) और धारा 33 के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) तथा धारा 34 के उपबन्ध किसी राष्ट्रीय उपवन के सम्बन्ध में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अभयारण्य के संबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, चाहे वह अभयारण्य में हो या न हो, जहां अधिकारों को निर्वापित कर दिया गया है और भूमि किसी विधि के अधीन या अन्यथा राज्य सरकार में निहित हो गई है, वहां उसके द्वारा ऐसे क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय उपवन अधिसूचित किया जा सकेगा और धारा 9 से धारा 26 तक (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए) के अधीन कार्यवाहियां तथा इस धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

* * * * *

36घ. (1) * * * * *

(2) समिति, ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जहां ऐसी पंचायत नहीं है वहां ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों और राज्य वन विभाग अथवा उस वन्य जीव विभाग के, जिसकी अधिकारिता के अधीन सामुदायिक आरक्षिति अवस्थित है, एक प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी।

* * * * *

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

38ठ. (1) * * * * *

(2) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, अर्थात्:—

* * * * *

(ठ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग;

(ड) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;

* * * * *

व्याघ्र संरक्षण प्रधिकरण की शक्तियां और निर्वहन।

38ण. (1) व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम की धारा 38फ की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना का अनुमोदन करना;

* * * * *

अध्याय 4ग

व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो

व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन।

38म. केन्द्रीय सरकार, इस अधनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के नाम से ज्ञात एक व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) वन्य जीव संरक्षण निदेशक — पदेन निदेशक;

(ख) पुलिस महानिरीक्षक — अपर निदेशक;

(ग) पुलिस उप महानिरीक्षक — संयुक्त निदेशक;

(घ) वन उप महानिदेशक — संयुक्त निदेशक;

(ङ) अपर आयुक्त (सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क) — संयुक्त निदेशक; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी जो इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन आने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएं;

* * * * *

अध्याय 5

वन्य प्राणियों, प्राणी-वस्तुओं तथा ट्राफियों का व्यापार या वाणिज्य

वन्य प्राणियों आदि का सरकार की सम्पत्ति होना।

39. (1) (क) पीड़क जन्तु से भिन्न प्रत्येक वन्य प्राणी, जिसका धारा 11 या धारा 29 की उपधारा (1) या धारा 35 की उपधारा (6) के अधीन आखेट किया जाता है या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में बंदी-स्थिति में रखा जाता है या पैदा होता है या उसका शिकार किया जाता है अथवा जिसे मृत पाया जाता है या जिसका भूल से वध कर दिया जाता है, और

* * * * *

अध्याय 6

अपराधों का निवारण और पता लगाना

प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और निरुद्ध करने की शक्ति।

50. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी या किसी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी के, जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया है, तो वह—

(क) ऐसे व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में किसी बन्दी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, [ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी] अथवा इस अधिनियम के अधीन दी गई या उसके द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी यान या जलयान की तलाशी लेने या जांच करने के लिए उसे रोक सकेगा या ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में किसी परिसर, भूमि, यान या जलयान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा उसके कब्जे में सामान या अन्य वस्तुओं को खोल सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी को जिनकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, किसी ऐसे अपराध को किए जाने के लिए प्रयुक्त किसी फांसे, औजार, यानि जलयान या आयुद्ध सहित अभिगृहित कर सकेगा,और जब तक कि उसका यहां समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति हाजिर होगा और किसी ऐसे आरोप का उत्तर देगा, जो उसके विरुद्ध लगाया जाए, वह उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा:

परन्तु जहां कोई मछुआरा, जो किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के दस किलोमीटर के भीतर निवास करता है, किसी ऐसी नौका से, जिसका उपयोग वाणिज्यिक मत्स्य उद्योग के लिए नहीं

किया जाता है, उस अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन के राज्य क्षेत्रीय झारखंड में अनवधानता से प्रवेश करता है, वहां ऐसी नौका पर मछली पकड़ने के टेंकल या जाल को अभिगृहीत नहीं किया जाएगा।'';

* * * * *

शास्तियां।

51. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के [अध्याय 5क और धारा 38ञ को छोड़कर] या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र की शर्तों में से किसी को भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि पच्चीस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परंतु यदि किया गया अपराध अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के संबंध में है या यदि अपराध किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित है या किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है तो ऐसा अपराध ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा में वर्णित प्रकृति के किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में, कारावास की अवधि तीन वर्ष से कम की न होगी किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना भी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा।

(1क) कोई व्यक्ति, जो अध्याय 5क के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

''(1ख) कोई व्यक्ति जो धारा 38ञ, के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास की अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा।''

(1ग) कोई व्यक्ति जो व्याघ्र आरक्षिति के आन्तरिक क्षेत्र के संबंध में अपराध करेगा या जहां अपराध किसी व्याघ्र आरक्षिति में आखेट या व्याघ्र आरक्षिति की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है वहां ऐसा अपराध प्रथम दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा; और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(1घ) जो कोई उपधारा (ग) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरित कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा।

(2) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय आदेश दे सकेगा कि कोई बन्दी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी, [असंसाधित ट्राफी, मांस, भारत में आयातित हाथी दांत या ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु, कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पन्नी] जिसके बारे में अपराध किया गया है और उक्त अपराध के करने में प्रयुक्त कोई फांसा, औजार, यान, जलयान या आयुध राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा और यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारित कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(3) अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का ऐसा रद्दकरण या ऐसा समपहरण किसी ऐसे अन्य दण्ड के अतिरिक्त होगा जो ऐसे अपराध के लिए दिया जाए।

(4) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां न्यायालय निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, जो आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे आयुध का कब्जा रखने के लिए दी गई है जिससे इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, रद्द कर दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष के लिए, अनुज्ञप्ति का पात्र नहीं होगा।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट करने से संबंधित किसी अपराध या अध्याय 5क के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष की आयु से कम का न हो।''

जमानत मंजूर करते समय कतिपय शर्तों का लागू होना।

51क. जहां कोई व्यक्ति, जो अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 से संबंधित अपराध या राष्ट्रीय उपवन या वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं के अंदर आखेट से संबंधित कोई अपराध या ऐसे उपवनों और अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी कोई अपराध करने का अभियुक्त है, अधिनियम के उपबंधों के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अधिनयम के अधीन किसी अपराध के लिए पहले से ही सिद्धदोष ठहराया गया था, तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक—

(क) लोक अभियोजक को निर्मुक्ति का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर छोड़े जाने पर उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

* * * * *

अपराधों का संज्ञान।

55. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा—

(क) वन्य जीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(कक) अध्याय 4क के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों में सदस्य-सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण; या

(कख) सदस्य-सचिव, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण; या

(कग) संबंधित व्याघ्र आरक्षिति का निदेशक; या

(ख) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी; या

(खख) धारा 38ञ के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में चिड़ियाघर का भारसाधक अधिकारी; या

(ग) कोई व्यक्ति, जिसमें विहित रीति से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत अधिकारी को अभिकथित अपराध की, और परिवाद करने के अपने आशय की अन्यून साठ दिन की सूचना दी है।

* * * * *

अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्तन करने की शक्ति।

61. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा किसी अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकेगी या किसी अनुसूची के एक भाग से किसी प्रविष्टि को उसी अनुसूची के किसी अन्य भाग में या एक अनुसूची से किसी अन्य अनुसूची में अन्तरित कर सकेगी।

* * * * *

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण।

65. इस अधिनियम की कोई बात अंडमान और निकोबार गजट, तारीख 28 अप्रैल, 1967 के असाधारण अंक के पृष्ठ 1 से 5 में प्रकाशित अंडमान और निकोबार प्रशासन की अधिसूचना सं॰ 40/67/एफ॰, नं॰ जी॰ 635, खण्ड III, तारीख 28 अप्रैल, 1967 द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र में निकोबार द्वीपों की अनुसूचित जनजातियों को आखेट संबंधी प्रदत्त अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

* * * * *

GMGIPMRND—263RS—18-04-2013.